

डॉ० राज बरोहर मोहिवा (कन्नौज) :
अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 357 . . .

Shri Hem Barua (Mangaldai): Sir, why do you say that you respect only Shri Sharma because you know him well? Why this differentiation?

Mr. Speaker: I respect all members.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parabham): Sir, on a point of order.

डॉ० राज बरोहर ल.हिया . अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रमबीर सिंह (रोहतक) . स्पीकर सहाय, पंजाब की डिबेट भी चले ।

Mr. Speaker: Shri Deshmukh wants to raise a point of order. What is it about?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Sir, my point of order relates to the position which the Speaker should occupy in the enforcement of the rules of procedure of the House. Sir, you would realise that it is true that the House and every member of the House must obey the dictum of the rules and where the rules are somewhat vague then we have to refer to precedents. We, all of us, owe allegiance to the Constitution, and that Constitution is interpreted by various lawyers on the basis of precedents. The important point which I wish to raise before you is that during the proceedings of parliament many important issues affecting vitally and more seriously certain issues and points of decision are likely to be taken which are likely to be challenged by the opposition. So, what constitutes a substantial issue of policy is very often raised in this House also. In this light, I seek your ruling on the behaviour of the Speaker of the Punjab Assembly in abruptly adjourning the session . . .

Mr. Speaker: I will discuss the same matter with Shri Sharma in my chamber. That is exactly what I said. Then, I will come to a decision. Now we will have to adjourn the House for lunch.

13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL—
Contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill. Shri Maharaj Singh Bharti may continue his speech

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) :
उपाध्यक्ष महोदय, भूमि प्रजनन कानून के अन्वयन जो जर्मने ली जाती है उन का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है उस पर काफी चर्चा यहां पर हो चुकी है । मेरठ में ही केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तिनापुर का गांव बमाने के लिए भूमि ली गई, कम्बा बसाया गया और आज तक भी वह कोलोनोनाइजेशन की स्कीम 15-20 साल खर्च हो जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई । जो योजना बनाई गई थी वह अपनी जगह पूरी तरह से असफल रही ।

श्रीमान्, गरीब किसानों की भूमि बहुत कम दैसे में लेने के बाद जो उस टाउन की प्लानिंग की गई, उस की हदबंदी की गई, जो गरीब हरिजन लोग वहां रहना चाहते थे उन्हें हदबंदी से बाहर बसाया गया और आज जब उन्हें दसे हुए 10 साल हो चके तो फिर उस टाउन की सीमाएँ बढ़ायी गई और फिर उन से कहा गया कि आज वहां से भी उधिये और किसी और जगह चले जाइये ।

श्रीमन्, वह एक मौलिक प्रश्न में लोक तथा के सम्बन्ध उपस्थित करता है। किस तरीके से वह देश में आर्थिक विद्यमानता बड़ी नहान् है और जैसे गरीब आधुनिकों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती उच्च विद्यमानता की एक बड़ी जालक जो हम जमीन लेकर नई कालोनी बसा रहे हैं आप पूरे देश में देख सकते हैं। कहरो में जितनी नई-नई बस्तिया बसी हैं उन में आप को हरिजन, आदिवासी, गरीब लोग और गरीबों में से गरीब हिन्दू, पिछडा वर्ग उस में आप को देखने के लिए नहीं मिलेगा। कौन 30, 40 और 50 रुपये गज की जमीन में सकता है? फिर उस में नियम है कि प्लाट इतने गज का कटेगा, फिर उस में नियम है कि उस में इतनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, वह पचास तरह के नियम हैं। मे लोग देहात के अन्दर पड़े हुए हैं एक मामूली कोठे के अन्दर वह शहर में किस तरीके से ऐसा बना सकते हैं? और फिर उच्च के बाध परिणाम यह निकल रहा है कि देश के राजस्व का बडा हिस्सा शहरों को गुलजार करने में खर्च किया जाय और शहर में मजदूरी करने वाल श्रमिक लोग शहर में न रह सकें। वे गाँवों में 10, 15 और 20 मील साइकिलो पर चढ कर आते हैं शहर में मजदूरी करने के लिए क्योंकि उन्हें शहरों में आवास के लिए जगह नहीं मिलती। कालोनियों में भूमि ली जायेगी सस्ती लेकिन उस मजदूर के लिए उस में से वे ही नहीं जा सकती। बडे मकान वह बना नहीं सकता मजदूरी करेगा शहर में और जितनी मजदूरी शहर में करने में वह श्रम लगायेगा उस में ज्यादा श्रम गाँवों में शहरों और फिर वापिस गाँव में जाने में लगेगा। फिर शहर के बडे लोग तो 26 रुपये मन का दामनिंग में गेहूँ लेकर आयेगे और वह गरीब गाँव का धादमी 74 रुपये मन गेहूँ लेकर आयेगा। इसलिए श्रीमन्, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाती चाहिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब हरिजनों के लिए, गरीब पिछडे वर्ग के लिए विशेष ध्यान दिया जाय नहान् - कई कालोनियों बसाई जासकती हैं ताकि उनमें

छोटे मकान भी बन सकें, कम पैसे से भी बन सकें, पैसा भी सरकार की तरफ से उन को मिल सके और गरीब लोग भी धमीरो की बस्तिया साब बस सकें। इस देश में जब जब भूमि अर्जित की जाती है कम पैसे में तो उस में कम पैसे वाले गरीबों को भी हिस्सा मिल सकें।

श्रीमन्, एक दूसरा सवाल में और उठाना चाहता हूँ और वह यह है कि औद्योगिककरण के नाम पर जो भूमि ली जाती है उसमें कभी यह हिस्सा नहीं लगाया जाता कि इस उद्योग को सबसुख कितनी भूमि की जरूरत है? जैसे कि हम रेल निकालने के लिए भूमि लेते हैं तो पता चलता है कि इतनी चौड़ी और इतनी लम्बी जमीन चाहिए। ऐसे ही नहर के लिए, सडक के लिए, सब के लिए पता रहता है लेकिन श्रीमन्, औद्योगिककरण के नाम पर जितनी बड़ी घांघली हुई है, किसानों को जितना लूटा गया है और सरकार के इस कानून का जितना दुरुपयोग किया गया है उस की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है।

में मिसाल देता हूँ। गाजिबाबाद के अन्दर भाटिया पीटरीज के नाम से जमीन ऐक्वायर की गई, 15-16 साल हो गये हैं पीटरी के छडे हुए। गिर्फ पाच फीसदी जमीन में तो भाटिया पीटरी है और बाकी जमीन में चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और एक बडा शानदार बगीचा है। खेती हो रही है। अगर श्रीमन्, बगीचा और खेती ही होनी थी तो वह किसान क्या दुरे में जिनकी कि जमीन मुफ्त में लेकर भाटिया पीटरीज को दी गयी? कई बार यह सवाल उठाया गया और कई जगह उठाया गया लेकिन आज तक सरकार ने कभी यह मुनासिब नहीं समझा कि उस की उस जमीन पर वह जो फालतू खेती 15-16 साल में कर रहे हैं वापिस लेकर आज भी वह जमीन किसानों को दे दी जाय। यह सरकार के किस काम लायक है?

श्रीमन्, मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ जसबन्त मुगर बिल केरु

[श्री महाशय सिंह बरौली]

की, इस नाम पर कि उन को एक कामज का कारखाना लगाना है। किसानों की यह भूमि जितने यह जब बाहें 15-20 रुपये तक में बेच सकते हैं जो कि सहर के अन्दर था गई है। यह भूमि कौड़िया में भी गई इसलिए कि कामज का कारखाना लगना है। औद्योगिकरण के नाम पर यह जमीन ले ली गई। आज नहीं बहुत दिन हो गये, कई साल हो गये, जमीन ले ली गई और आज उस जमीन में कारखाने की जगह शीकम के दरख्त उगे हुए हैं क्योंकि कारखाने का लाइसेंस दिल्ली सरकार ने कैंसिल कर दिया। उस के पास विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध नहीं हो पाया। जो विदेशी कोलेबरेशन यह करना चाहते थे वह मिल नहीं पाया। उस की विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध नहीं हो पाया। कृषि इस का प्रबन्ध नहीं हो पाया इस लिये सरकार ने लाइसेंस देना मुनासिब नहीं समझा और उद्योग का लगाना मुस्तबी कर दिया गया। लेकिन 25, 30 लोग आज बेरोजगार हो कर, बेकार हो कर सहर में बटक रहे हैं और उस जमीन के अन्दर शीकम के दरख्त और जंगल लगे हुए हैं। कोई पुरसा हाल नहीं है इस जहानाबाद का कि उद्योग पर कितना पैसा लगा, कितनी उस को जरूरत हो सकती है, कितनी मशीनरी आयेगी, कितना बड़ा ब्यूजिट है, कितनी जगह लगेगी। कोई नियम सरकार ने नहीं बनाया है कि कितने रुपये की स्कीम है, कितना बड़ा ब्यूजिट है, कितने में कारखाना लगेगा, कितने में स्मार्टर बनेगा। अगर उद्योगपति ने कहा कि हमें उस एकड़ जमीन फला उद्योग के लिये चाहिये तो सरकार ने उस को समझा नहीं, इजाजत दे दे। आज देश की तरफकी के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है कि सबकुछ उस में कितनी जमीन की जरूरत है।

मेरा कहना यह है कि एक ऐसी कमेटी जरूर बनाई जाय जो इन सब बातों की छान बीन करे, जो भी इस तरह के केसेज आये उनकी छान बीन करे और सरकार को अपनी रिपोर्ट

दे। सरकार भी उस पर जरूर कंटेन्सर्ड कंटेन्सर्ड बाईन्स बनता का पैसा जनता के काम के लिये, गरीब लोगों के काम के लिये भी खिचा जा सके। ताकि आइन्दा उद्योग के नाम पर जिस जमीन को भी हस्तगत किया जाये, उस में इस बात का ध्यान रखा जा सके कि सबकुछ रुपये को देखते हुए, कारखाने के फेलाव को देखते हुए, कारखाने की जरूरत को देखते हुए उतनी जमीन की जरूरत भी है या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को प्रचर समिति को सौंपने की सिफारिश करता हूँ।

Shri Chintamani Panigrahi (Bhubaneswar): The Land Acquisition (Amendment) Bill which is now before the House, if I may be permitted to say so, is not really to the satisfaction of the people themselves because the land acquisition proceedings for the last so many years have become a great source of harassment, bribery and corruption in the hands of the administration and the common people who have been deprived of their lands and whose lands are being acquired, are suffering a great deal at the hands of the compensation officers. I have come across many cases in my State as well as in my Constituency where, in respect of lands which were acquired in the year 1947, compensation amounts have not been paid to the farmers whose lands have been acquired. In the case of Mahansadhi-Hirakud Dam Project, the hon. Minister, if he refers to the files, will find that till today Rs. 18 lakhs of compensation money have remained unpaid to the farmers because various proceedings are there; some of them went to courts, nothing could be settled and it continues and continues and people do not get their money. Even in respect of Delta Irrigation schemes which are being executed in our State for the last seventeen years, the cost of the project is going up from Rs. 14 crores to Rs. 24 crores but thousands of acres of land

were acquired without any planning, without any systematic master plan as to how to acquire those lands and for what purpose; thousands of acres of cultivable land are lying fallow and no crops could be grown all these years because of delay in acquisition proceedings and delay in payment of compensation. When I went to different places, I came across people who had been affected by the land acquisition proceedings. I have come to know that for every hundred rupees which a farmer is entitled to get by way of compensation for his land, he has to spend at least Rs. 50 for running at least fifty times to the land acquisition officers, and when he gets the money he has to give Rs. 20 to the officials concerned by way of bribery; in other words, for every hundred rupees of compensation paid, the farmer actually gets after five or ten or fifteen years only Rs. 30 which comes to just 30 per cent.

Therefore, I would urge that the hon. Minister should not bring such piece-meal amendments. The land acquisition proceedings should be completed within a limited period, say, within three months or six months. I have also told the farmers whose lands have been taken away that they should not give possession of their lands till the compensation is paid then and there, because otherwise what happens is that once the administration gets hold of the land and acquires it they do not pay compensation in time and the people are put to great harassment.

While moving this Bill for consideration, the hon. Minister has said that he proposes to bring forward a consolidated Bill later and he also proposes to take the Members of this House into a committee so that they could look into all the difficulties in the land acquisition proceedings due to which the peasants are put to a lot of hardship. I welcome the idea of a committee to look into such a

comprehensive Bill. There should be a consolidated Act first, and there should not be any piece-meal amendments because these would not fulfil the needs or the demands of the people and would not relieve in any way the harassed cultivators from their hardships whose lands are being acquired.

I would like to make one more submission here. Whenever any plan or project is implemented, there should be a well-thought-out plan about how much land is actually to be acquired. Thousands of acres should not be acquired unnecessarily, putting the cultivators to a lot of harassment. I hope the hon. Minister will take into consideration all these difficulties that the farmers are undergoing and see that the land acquisition proceedings are made very simple instead of being allowed to be complicated which compels the farmers to run a hundred times to the officers concerned. There should be speedy justice, and compensation should be paid when the land is acquired. The cultivators should not be kept waiting for so long and should not be harassed as they are being harassed now.

Shri S. C. Samanta (Tamluk): I am glad that this piece-meal legislation has at last been brought forward before the House. This measure was long overdue. Government should have thought over all these sections, which are so valuable to the poor cultivators and others, long ago.

From the Statement of Objects and Reasons I find that Government have been forced to bring forward this piece-meal measure. I would ask Government whether they were sleeping for so long. This had been brought to their notice long ago. I may remind the House that I had introduced a non-official Bill to the effect that sections 3, 11, 15A and 23 of the parent Act should be amended. I had introduced it in 1964. You

[Shri S. C. Samanta]

will be surprised to learn that I was informed that:

"In connection with the above Bill given notice of by you, I am directed to forward herewith for your information a copy of a letter dated 22nd February, 1955, from the Minister of Food and Agriculture saying that the President has withheld his recommendation."

Generally this is the fate of non-official Bills. What harm would have accrued to Government if those things were considered in the House? The House may or may not accept them. But these are matters before the country which should have been looked into.

What are the things which I wanted to put before the House? The important thing was about the compensation about which many hon. Members here have given their verdict. A notification is issued in the gazette to say that for public purpose lands are to be acquired. We generally find that after four, five or even six years, those lands are acquired, and the price that is paid for acquisition is the price prevalent at the time of notification. How is the price that was prevalent at the notification taken into account? The price that was prevalent at the time of notification and also five years before are taken into account. But we find in every case that the land has appreciated in value; the price increases even by a hundred times. Why should the poor people whose lands are acquired be deprived of the benefit of the increased price at the time of acquisition? What is the harm? This should be thought of by Government. They get the compensation to some extent, but what do the poor cultivators, who are barghaders and bhagchasis, get? Do they get anything? Is not Government making the poor man poorer by this method? Why should not these

poor people who earn their livelihood through the lands be compensated? That is my contention. I feel that these things have not been considered by Government in the Bill brought before us.

I would therefore request the hon. Minister to see that a comprehensive Bill is brought forward.

An hon. Member: The whole Act.

Shri S. C. Samanta: This Act was enacted in 1894. Still those sections are being honoured by us. There is so much change in the country. Governments have changed, but our laws have not. When non-official Members point out these things and also bring in a Bill for the purpose of discussion and passing. Government should deal with the matter and give us a reply. I have laid before you the fact that Government did not allow me to have the Bill discussed in the House.

So I would request the hon. Minister to see that an exhaustive Bill governing not only the points I have mentioned but also incorporating other parts is brought forward. Meanwhile Government may appoint a Committee to examine how the Bill can be amended for the purpose of satisfying the demand of the people. The hon. Minister should look into this matter. I have submitted my Bill again this time and I would request him to see that permission is obtained from the President and I am allowed to move it here.

Shri Gajraj Singh Rao (Mahendragarh): As the Bill has been drafted, it would cause great hardship, rather approve of the gravest hardships caused.

Reference was made by the hon. Minister to the Law Commission, but has he quoted the Law Commission Report? Is it not against this ordinance and validating Act? The official

committee was also referred to is not that committee's report also against this?

I would submit before this House that this has been very harshly practised, especially in the neighbouring district of Gurgaon. In Faridabad what happened? Land was acquired for companies and others. Only one-tenth of it was required for them, the rest was sold at Rs 40 to Rs 50 a square yard, while it was acquired at four annas to one rupee or two rupees. That is what happened? Instead of Faridabad, people now call it Fraudabad. The common people talk like that. They are selling it, and mansions are erected, instead of factories and other things for which the land was acquired.

Not only this. The Bill itself would cause graver hardships. Let me give an example. A few months back, when there was Governor's rule in Punjab, a notification was issued, the like of which would not have been soon by any law-abiding citizen or law-making body, that on such-and-such date village such-and-such will be acquired, whereas the notification under section 4, according to the decisions of the Privy Council, of the Supreme Court and High Courts, the *abadi*, roads, school buildings and other places are to be expected, the name of the owner has to be given whose land has to be acquired, the area has to be given in the preliminary notification under section 4, but they said *hadbast* so-and-so is proposed to be acquired. For what purpose? No purpose.

For development there is another enactment already existing. Development means that Delhi people, the big capitalists of Delhi, the big gangsterdom of Delhi should acquire it for raising big mansions in the name of farm, poultry etc, for big palaces there. That is the only development that is being done, and it can be seen by anybody twelve miles away. Is this the manner in which this law is to be implemented?

I had the misfortune of raising objection that this notification under section 4(a) is absolutely void. Even the land of the ex-Speaker, Sardar Hukam Singh, was acquired. He called on me and said that he had to file an objection within 30 days, and wanted to know what he should do. I told him that I had filed an objection on behalf of all, we shall see if the notification is valid.

My second point is constitutional and legal. The last resort of any law-abiding citizen is the court, and when the Supreme Court has decided a thing, if we validate it, we are bringing the highest judiciary into contempt because the other remedy is open to them? What is that? I am requesting them to withdraw this Bill now.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। आपको प्यान होगा कि पिछली लोक सभा में, जब कि श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय ने यह नियम बनाया था कि जब सदन में कोई बहस चलती हो, तो सदन में कैबिनेट स्तर का कम से कम एक मंत्री अवश्य रहना चाहिये लेकिन इस सेशन में उस नियम का बराबर उल्लंघन किया गया है और कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन में उपस्थित नहीं रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस नियम को कायम रखा जाये और इस समय भी कैबिनेट स्तर के किसी मंत्री को यहाँ पर बुलाया जाये।

Shri Gajraj Singh Rao: They can take the papers relating to the notification for acquisition of land in these 12 villages, and the Minister of food can see what type of notification is this. There was President's rule then. This validating act is not correct. Is it fair. In the villages they had put up pumping sets and electric connections were given and raj kishis were from these villages. Now, these very capitalists approached them and said:

[Shri Gajraj Singh Rao]

you sell the land to us or your land would be acquired; this land would be left and that land would be taken. The gates of corruption was wide open. That is how they manouvred to get such a notification issued.

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) :
माननीय सदस्य इस बिल के पक्ष में अपना
वोट न दें।

Shri Gajraj Singh Rao: The hon. Minister has to satisfy the House. I know it. I have been here for more years than my friends there; I am here from 1932. We should not be taught law. In their opinion, anybody who wears a turban does not know law.

एक माननीय सदस्य उम् के साथ
अबल नहीं आती है।

Shri Gajraj Singh Rao: So, I am suggesting remedies that this Bill be withdrawn and the outstanding proceedings to acquire lands may be stopped so that they may get the price at the market rates today. In the alternative, the Bill may be sent to the Select Committee and the pros and cons could be considered. Or, it may be postponed till the next session so that they may be able to examine what the hon. Members from all sides have to say. In my humble legal opinion, even this validating measure is illegal and void and this would be challenged in a court and set aside. We should have respect for at least the highest judiciary, the Supreme Court. These big capitalists somehow manouvred in the lower strata of the secretariat and they got these things done. Food production has been adversely affected; money has been looted. At least one tenth of the land in those 12 villages were sold at a low price by telling the villagers: your land would be acquired unless you submit to our demands. That is what happened in Gurgaon, Faridabad and Ballabgarh. Three-fourth of lands in Ballabgarh was

taken that way. Similar was the case in Gurgaon also, which is barely 12 miles away I request the hon. Minister to consider the legal and constitutional implications as also the fact that it would create hardship to the people whose cultivable lands had been acquired. This has been responsible for the reduction in food production. So, I would submit that considering all these facts, the Minister would take note of any of these courses which I have suggested humbly as my humble, legal and constitutional opinion and on facts.

श्री प्रकाशवीर शारदा (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी राज में जब दिल्ली का विस्तार हो रहा था और शेष भारत से धन छीन छीन कर यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां और भवन खड़े किये जा रहे थे, उस समय महाकवि दिनकर ने दिल्ली को सम्बोधित करते हुए ये पंक्तियां कही थीं :

“आह उठीं दीन कृषकों की,
मजदूरों की तड़प पुकारें।
अरी गरीबों के खूनो पर,
खड़ी हुई तेरी दीवारें ॥

उस समय तो वह बात समझ में आती थी क्योंकि राज्य पराया था और अंग्रेज इस देश का शासक था। उस ने देश को चूसकर दिल्ली का विस्तार किया। लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकार उन्हीं पद-चिन्हों पर चल कर दिल्ली का विस्तार करेगी, ऐसी कल्पना आसानी से मस्तिष्क में नहीं होती थी। आज इस सदन में जो भूमि अधिग्रहण विधेयक उपस्थित हुआ है, वह अंग्रेजी शासन की उस पुरानी याद को फिर से ताजा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप को और हम सब को यह भली भांति ज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली का विस्तार किस ढंग से

हैं। क्या है और जब के लिये दिल्ली के आस-पास के जिलों, विशेषकर गुड़गांव और हरियाणा के कुछ जिलों और नेरठ तथा मुम्बई-वडोदा, की जमीनों को किस तरह सस्ते दामों पर छीन कर किसानों को बेचकर किया जा रहा है या हमेशा के लिये उजाड़ा जा रहा है। आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पहले गाजियाबाद के पञ्चीस गाँवों के किसान प्रदर्शन करने के लिये लोक सभा भवन पर घाये थे और सड़क के द्वार पर अपने बाल-बच्चों को लेकर जगजग एक महीने तक पड़े रहे न्याय की भीख माग्ने के लिये। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि उन किसानों को तेरह पैसे गजके हिसाब से उन की जमीन का दाम देकर सदा के लिये उन के घरो से उजाड़ा जाये और सदा के लिये उनको बिजारी बना दिया जा। यह उचित और न्याय नहीं है।

बहुत कुछ परिश्रम करने और श्री जवाहर लाल नेहरू के बीच में पड़ने के बाद वह मुद्राबन्धा तेरह पैसे प्रति गज से बढ़कर लगभग सत्तर, अस्ती पैसे प्रति-गज तक पहुँचा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस समय यह निर्णय हो गया, लेकिन अभी तक उन शरीर किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल सका है।

उन शरीर किसानों की यह माँग थी कि उन की जमीन से लगती हुई सहर की जमीन का मुद्राबन्धा जिस भाव पर दिया गया है या जिस भाव को रजिस्ट्री हुई है, अगर वह भाव नहीं, तो कम से कम लगभग उतना ही भाव तो उनको दिया जाये जबकि उनकी जमीनें सदा के लिये छीनी जा रही हैं। लेकिन उन शरीर किसानों की इस न्यायोचित माँग के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की धारों में किसी प्रकार की दया का उदय नहीं हुआ।

इस विधेयक को फिर सदन के सामने लाने की बख्श क्या है? मेरा अनुमान है कि हमारी वर्तमान सरकार न्यायालयों के निर्णयों को अपनी धारों से बिल्कुल धोखल करना चाहती है और एक तरह से उनको महत्वहीन बनाना चाहती है। जमीनों को छीनने के सम्बन्ध में मुम्बई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी केस दायर हुए हैं, वे सब सरकार के विपरीत गए हैं। सरकार उस स्थिति से बचने के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की परवाह किये बिना इस अधिवेशन में यह एक्ट ले चाई है।

इस विधेयक को लाने के पीछे एक भावना और भी है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मेरा अनुमान है कि इस विधेयक को पास करा के सरकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने उस कर्तव्य से हटना चाहती है जिसकी और सुप्रीम कोर्ट ने निवेश किया है। आप तुलना कीजिये कि अगर सहर में रहने वाला कोई व्यक्ति अपनी कोठी और उसके पास-पास की खाली जमीन का मालिक है और उसको अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। उसको इस बात का भी पूर्ण अधिकार है कि वह उस भूमि को कितने रुपये में या किस मुद्राबन्धे पर बेचे। लेकिन किसान ने क्या गुनाह किया है कि जिस जमीन पर वह बेटी करता है उस को अपने भाव पर बेचने के उसके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है? सरकार संविधान में निश्चित फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। इसलिये वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये इस अधिनियम को इस सदन में लेकर चाई है। अमेरिका के संविधान में 105 वर्ष के अरसे में केवल पाँच बार संशोधन हुए हैं। लेकिन उन पाँचों बार में भी जो संविधान में संशोधन उन्होंने किए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर किसी के सम्बन्ध

[श्री प्रकाशवीर लक्ष्मी]

में हुआ तो उस सम्बन्ध में अमेरिका में संविधान में संशोधन नहीं किए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने ही बनाये हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को इस देश की पार्लियामेंट या इस देश की सरकार महत्वहीन समझती है। बार बार उनमें कहीं संशोधन के नाम पर कहीं परिवर्तन के नाम पर इस प्रकार के ऐक्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की भी उपेक्षा करती चली जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार का यह न्यायालयों को महत्वहीन बनाने का दूसरा प्रकार है।

तीसरी सब से बड़ी बात यह है उपाध्यक्ष जी, सरकार उन गरीब किसानों को दोहरा मार देना चाहती है। एक मार तो यह है कि इन गरीब किसानों ने कोर्ट में जाकर के मुकदमे लड़े। बहा पर भी सरकार ने पैसा लिया कहीं स्टैम्प ड्यूटी ली और कहीं दूसरी तरह से उन किसानों को खर्च करना पड़ा। और जब यह ऐक्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद जो उन गरीब किसानों को मुभावजा दिया जाना है वह पूरा मुभावजा न दिया जाकर फिर दोहरी मार उन किसानों पर पड़ने वाली है। इस तरह से सरकार दोहरा बेस उन किसानों के साथ बेसना चाहती है। एक बार वह कचहरी में केस लेकर गये वहाँ जीते बहा खर्च किया और अब उनको धाया सिहाई या चौपाई से भी कम पैसा लेकर सरकार फिर दोहरी मार किसानों को देना चाहती है। इस तरह से सरकार कहरों को पनपाने के नाम पर गरीब किसानों के नलों पर छुरी फेरना चाहती है जो बहुत बड़ा अन्याय है और इसके सम्बन्ध में हमको विचार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसा अपनी कई फिल्मों ने इस सम्बन्ध में कहा कि यह विधेयक इसनी आसानी से इस सदन के द्वारा पारित नहीं हो जाना चाहिए। इसके लिए धावपक

है कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। प्रवर समिति इसके एक एक शब्द पर एक एक धारा पर विचार करे और देखे कि इसके द्वारा जो गरीब किसानों के ऊपर छुरी चलने वाली है किस प्रकार से उसको बचाया जा सकता है। जब इस देश की जनता में 82 प्रतिशत बेहात के रहने वाले व्यक्ति हैं जिनकी जमीन छीनी जाने वाली है तो ऐसी स्थिति में यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। जो पूरी तरह से छान बीन करे और फिर विधेयक भाये तो उनके साथ भी न्याय होगा और सदन अपनी गौरवपूर्ण परम्परा की रक्षा भी कर सकेगी।

इस से भी बड़ी चीज यह है कि न सिर्फ इस विधेयक को बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि 1874 के बनाये हुए जो भी भूमि सम्बन्धी अधिनियम या कानून हैं उन सब के ऊपर भी फिर से विचार करना आवश्यक है क्योंकि अंग्रेजों के समय में परिस्थितियाँ कुछ और थी। उसके बाद परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती गईं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह सदन अपनी एक झाई पावर कमेटी इस प्रकार की बनाये जिस के सामने भूमि सम्बन्धी सारे कानून लाये जायें और उन सारी चीजों पर विचार किया जाय जिससे किसान के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी बसवटी भाषा में कहना चाहता हूँ कि इस अधिनियम को पारित करने के बजाय प्रवर समिति को सौंपा जाय जिससे मालूम पड़े कि भारतवर्ष की लोक सभा में गरीब किसानों का भी प्रतिनिधित्व होता है।

श्री हुकूम शम्स कश्मीर: उपाध्यक्ष महोदय अभी राव गजराज सिंह जी बोले फिर उसके बाद सास्त्री जी बोले लेकिन माननीय मंत्री जी का इत्तर कुछ ध्यान नहीं है वह अपनी असाध शिक्षावृत्ति कर रहे हैं।

कीन व्यक्ति क्या बोलता है कीन किश मुरे की बात रज रहा है इस से उन को कोई असलख नहीं। वह न जाने क्या अपना अलग बँठे बँठे लिखने में लगे हैं।

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): I strongly protest against the hon member's remarks. I have been closely following the speeches delivered here and I have been taking down notes.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Randhir Singh.

श्री सरजू वाण्डेवः उपाध्यक्ष महोदय यह परम्परा यहा रही है कि पहले जो पार्टी की तरफ के बक्ता हैं उन को बुलाया जाता है। आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जिस को चाहते हैं उस को बुलाते हैं। (ध्वजत्राल) पहले उन दलों को बुलाना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Just now I have received some names from the opposition. The first name I got is from Jan Sangh.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Names were given yesterday also.

Mr. Deputy-Speaker: Yesterday you were not present.

श्री कंवर लाल गदत (दिल्ली सवर) : उपाध्यक्ष जी मुझे एक बात जो उन्होंने कही पहले उस के बारे में कहनी है कि यहाँ पर कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कोई रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कानून में चाहे कुछ भी न हो लेकिन एक प्रोप्राइटी आफ डिमांड यह है कि सीरिबली सदन में जो बोला जाता है वहाँ पर जो कुछ भी कार्यवाही होती है सरकार सीरिबली उसे लेती है इस का कुछ क्या तो करना चाहिये उसे मैं समझता हूँ कि हम अपना प्रोटेक्शन

चाहते हैं किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को आप वहाँ पर बुलाइए अन्यथा यह भीज चाहे कानून में या क्वेस रेगुलेशन में न हो और मैं मानता हूँ कि नहीं है लेकिन पहले भी परम्परा पहली लोक सभा की हमेशा यह रही है और मैं समझता हूँ कि आवश्यकता भी है ताकि हम जो बोलते हैं या सदन में जो कार्यवाही होती है वह जनता भी सुनती है अखबारों में भी जाती है तो सरकार पर उस का कुछ असर होता है इस का कुछ पता नगे इसलिए हम आप का प्रोटेक्शन चाहते हैं कि आप सरकार को कहिए कि कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर यहा रहे।

Mr. Deputy-Speaker: I have taken note of the observation made by him and I am conveying it to the proper quarters.

श्री हुकम चन्द कलबाब पहले अध्यक्ष का निर्णय है इस तरह का। उ होने निर्णय विया है आप उस को देखे

Shri Kanwarial Gupta: After all, there are so many Cabinet Ministers. Anybody can be present.

Shri Annasahib Shinde: In the other House, Sir, the Food Debate is going on.

An hon Member: All Ministers are not called there.

Shri Annasahib Shinde: Please allow me to finish. What should be the convention etc. it is not for me to say. It is for the Deputy-Speaker to point out. But as far as this Bill is concerned, I am piloting the Bill, I am in charge of the Bill and I have been here throughout the proceedings.

Shri Kanwarial Gupta: Sir, my point is only this. Only one Minister is in the Rajya Sabha. There are 19 Cabinet Ministers. I do not know where they are, when this House is in session. We strongly protest about it. Repeatedly protests have been made

[Shri Kanwarlal Gupta]

but with no result. This is not fair. Sir, I seek your protection (*Interruption*). This is not a question of party, it is a question of prestige of the House.

एक माननीय सदस्य : अगर विभागीय मंत्री नहीं है तो निविभागीय मंत्री को बुलाया जाय।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's observations will be conveyed to the proper quarters. Anyway, the Minister of Parliamentary Affairs and Communications has come.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पिछली बार इस सदन में जब सरदार हुकम सिंह जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने यह निर्णय दिया था, आप उस को निकालें तो मालूम पड़ेगा, कोई भी कैबिनेट मंत्री इस सदन की अवहेलना करके नहीं जा सकता। उन को यहां रहना चाहिए एक न एक को और पिछली बार लोक सभा में यह नियम बना था कि एक न एक मन्त्री रहता था। लेकिन आज आप देखें कि कोई नहीं रहता और यह एक माननीय राम सुभग सिंह मिल गए हैं, यह बंधे रहते हैं यहां पर लेकिन वह भी हर वक्त नहीं रहते।

Mr. Deputy-Speaker: Is he not a Cabinet Minister?

Shri Sheo Narain (Basti): Every State Minister is equal to a Cabinet Minister.

श्री प्रकाशवीर शर्मा : मेरा अपना सुझाव यह है कि डाक्टर राम सुभग सिंह जी के आने पर आपने यह कहा कि डा० राम सुभग सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेकिन राम सुभग सिंह जी आये हैं अब। कंवर लाल गुप्ता का सुझाव यह है और बिल्कुल उपयुक्त है कि अगर उस विभाग से संबंधित मिनिस्टर राज्य सभा की वहस में वहां लगे हुए हैं तो कोई न कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होना

चाहिए। और नहीं यह कर लिया जाय कि जैसे बिना विभाग के मिनिस्टर एक हैं तो एक के बजाय दो बना लिए जाय जिनमें एक का काम यह हो वह हमेशा यहां पर रहें।

Mr. Deputy-Speaker: I fully share your feelings.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, यह कानून, लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट आफ 1894, यह किसान के लिए काला कानून है। किसान के लिए यह मौत का वारंट है और किसान के साथ उस की शहरियत पर एक हमला है। किसान के साथ यह इम्तियाज किया जा रहा है और जो विधान में बुनियादी हकूक हैं, विधान में देश का हर एक आदमी बराबर है, हर एक पेशा बराबर है, हर एक जाति बराबर है और हर एक मजहब बराबर है, उसमें किसान में और गैर-किसान में इस कानून की रू से फर्क समझा गया है जो कानून की नजर में, आईन की नजर में गलत है। ऐसा जाहिर होता है इस कानून से कि जैसे किसान एक अनटचेबिल है। उस को कोई शहरियत हासिल नहीं। उस को कोई हक हासिल नहीं जो कि बाकी गैर-किसान को हासिल हैं। स्पीकर साहब, यह एक पुराना, मुताफिन और बोसीदा कानून है जो अंग्रेजों के वक्त में पास किया गया और किसान और गैर-किसान को भिड़ाने के लिए पास किया गया। इस कानून से लाखों नहीं करोड़ों किसान हिन्दुस्तान में नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। अब देश आजाद है। यह ज्यादाती जो किसान के साथ हो रही थी, यह जो इम्तियाज किसान के साथ हुआ था, यह अब बन्द होना चाहिए। मैं आप से यही कहना चाहता हूँ कि इस में विधान के अलावा बाकी जो पहली बात है वह यह है कि किसान अपनी जमीन को बड़ी मेहनत से दिन रात कोशिश करके अपने जेवर बेचकर, दिन रात पसीने की कमाई करके खरीदता है। किसान जाड़े में कितनी मेहनत करता है, गर्मियों में कितनी मेहनत करता है, जमीन

से कितना प्यार करता है, यह आप सब को मालूम है। किसान अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करता, अपनी बीबी से इतना प्यार नहीं करता, अपने वाकी रिश्तेदारों से इतना प्यार नहीं करता, जितना जमीन से, धरती से, प्यार करता है। किसान अपनी धरती को खोना अपनी इज्जत पर हमला समझता है और अगर किसान के हाथ से कोई जमीन जबरदस्ती ले ले, तो किसान उस को अपने खिलाफ ऐलान जंग समझता है। एक चप्पा भर जमीन के लिये किसान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक और अंग्रेजों के वक्त में तो प्रीवी काउन्सिल तक जाता था। आपने देखा होगा कि कत्ल के मुकदमे जो किसान के साथ होते हैं, वे जमीन के मामले को लेकर होते हैं। किसान जमीन के छीनने को अपनी खुददारी पर हमला समझता है, अपनी शहरियत पर महला समझता है। इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ—मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर पर जन्म लिया और करोड़ों किसानों के बीच में हर वक्त रहता हूँ—मैं इस कानून को अपने बुनियादी हुकूम पर, इज्जत पर हमला समझता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कोई दिल्ली, रोहतक, चण्डीगढ़, भम्बई या कलकत्ता का सवाल नहीं है, यह चार सौ करोड़ किसानों की इज्जत का सवाल है, उनकी खुददारी का सवाल है। आज किसान को दूसरे किसम का आदमी क्यों समझा जाता है। जहाँ किसान की इंगलिस्तान, अमरीका, यूरोप और दूसरे देशों में इतनी इज्जत है, यहाँ उसे घटिया किसम का हिन्दुस्तानी क्यों समझा जाता है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, जब चण्डीगढ़ बनाया गया, तो दर्जनों गांवों को, 50-60 गांवों को उठाया गया, जब दिल्ली को एक्स-टेण्ड किया गया, तब भी दर्जनों गांवों को, पचास-साठ गांवों को बरबाद किया गया, यह नहीं सोचा गया कि वह बेचारा कहां जाकर बसेगा, कम से कम उस वक्त की हुकूमत को और आज की हुकूमत को किसान को उजाड़ने से पहले उस से पूछ लेना चाहिये था कि आखिर

उस का क्या बनेगा—मजदूर बनेगा, घसियारा बनेगा। आज किसान को जमीन से उजाड़ कर घसियारा बनाया जाता है। मेरे दोस्त, बहुत से फाजिल दोस्त जो उधर बैठे हैं, एल० आई० सी० या दूसरी कम्पनियों की बातें करते हैं, उन में होने वाली छटनी की बातें करते हैं लेकिन जहां करोड़ों आदमियों की जिन्दगी का सवाल है, इन कम्पनियों में तो दूसरी जगह लोगों को दी जाती है, लेकिन किसान के लिये आज कोई प्रबन्ध नहीं है कि उसको कहां जगह दी जायगी।

श्री सरजू पाण्डेय : हम सब आपके साथ हैं।

श्री रणधीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अंग्रेज ने किसान को, खास तौर से यू० पी० के किसानों, दिल्ली और उसके चारों तरफ के किसानों को सन 1857 के गदर के बाद उस को उजाड़ने के लिये जो सब से बड़ी सजा दी थी—वह थी उसकी जमीन का नीलाम किया जाना। उसकी जमीन को नीलाम किया गया, उसकी जमीन को नीलाम किया जाना सब से बड़ी सजा थी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों को उजाड़ो तो कम से कम यह तो महसूस करो कि किसानों के लिये क्या कर रहे हो। उस को वहां से उजाड़ रहे हो तो क्या उसको नीलामी का चेकर समझ रखा है, कीड़ा-मकौड़ा समझ रखा है। किसान जो जमीन बेचता है, वह सेलर है और जो किसान की जमीन खरीदता है, वह परचेजर है, सेलर और परचेजर का रिश्ता होना चाहिये। जब आप एक मकान को सेलर की मन्जूरी के बिना नहीं खरीद सकते, किसी की दुकान को, बैंक को, कारखाने को उसके मालिक की मर्जी के बगैर नहीं खरीद सकते, बड़े-बड़े बाजारों के मालिक, बड़े बड़े सरमायेदारों से, बैंकों और कारखानों के मालिकों से उन की मर्जी के बिना उनकी जायदादों को नहीं ले सकते, बाबू के मकान को नहीं ले सकते, वकीलों के दफ्तरों को नहीं ले सकते, अफसरों की कोठियों को

[श्री रणधीर सिंह]

नहीं ले सकते, तो किसानों को क्या आपने जानवर समझ रखा है, कीड़ा मकौड़ा समझ रखा है कि इस कानून की दफ्ता 11 और 18 के तहत उसकी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस जायं, उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लें और अगर वह कुछ बोले तो उस को जल में डाल दें और मुकदमा चला दें ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सवाल एक जगह का सवाल नहीं है सारे हिन्दुस्तान का सवाल है । कम से कम यह कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समझा है कि यह किसानों के फण्डामेंटल राइट्स पर हमला है और बार बार उस बात को दोहराया गया है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ की, जो कि हायेस्ट ज्युडीशियल बाडी है आपको कद्र करनी चाहिये बजाय इस के कि उस के व्यू को एब्रोगेट किया जाय म सूख किया जाय । जो इशारा उसकी तरफ़ किया गया है उस को समझ कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो यह मेहरबानी करे कि इस पब्लिक परपज़ का नाजायज़ फायदा न उठाया जाय । कोई एक मूंगफली की दुकान खोलना चाहता है बिस्कुट की फ़ैक्टरी लगाना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है आयरन रोलिंग मिल लगाना चाहता है बाइसिकल के स्पेअर पार्ट्स की छोटी-मोटी फ़ैक्टरी लगाना चाहता है उस को ज़रूरत है 10 गज़ की 50 गज़ की एक बीघे की लेकिन पब्लिक परपज़ के तहत उस यूटिलिटी के तहत एक बीघे के बजाय 50 बीघे ज़मीन ले ली जाती है उस का एक-एक बीघा कौड़ियों के दामों पर लिया जाता है और उस पर थोड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर के बाकी ज़मीन की कीमत एक रात में 10 रु० 50 रु० और 100 रु० गज़ हो जाती है । उसकी ज़मीन को कौड़ियों के दामों पर कुछ आने गजों में एक रुपये या दो रुपये गज़ में लिया जाता है और उसको 100, 200 और 400 रु० गज़ में अगले दिन फरोख्त किया जाता है । गवर्नमेन्ट रेल बनाती है इसी एक्ट के तहत

ज़मीन बहुत सस्ते दामों पर ली जाती है और फिर उससे रेलव लाखों और करोड़ों रुपये कमाती है । लेकिन दूसरी तरफ़ सरकार नहर बनाती है तो किसान से वैंटरमेन्ट टैक्स लिया जाता है सुपर-चार्ज लिया जाता है उसको पानी दिया जाता है तो कहा जाता है कि किसान की फसल बँटार हो गई है उस पर बैटरमेन्ट चार्ज लगाया जाता है, सुपर चार्ज लगाया जाता है । मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसान पर वैंटरमेन्ट चार्ज लगाया जाता है, सुपर चार्ज लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट पर भी और सरमायेदारों पर भी जो कि किसानों की ज़मीनों लेकर कारखाने बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, उन के ऊपर भी वैंटरमेन्ट टैक्स क्यों न लगाया जाना चाहिये और यह वैंटरमेन्ट चार्ज उस किसान को दिया जाना चाहिये ।
..... (व्यङ्गधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप उधर बैठ हुए हैं इस तरफ़ आ जाइये ।

श्री रणधीर सिंह : मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिये । मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि किसान के साथ सौतेली मां का सलूक नहीं होना चाहिये । आज उस के मामले में सेलर और परवेज़र के रिश्ते को नहीं समझा जाता है पब्लिक परपज़ के नाम पर एक बीघे के बजाय सैकड़ों बीघे ज़मीन ली जाती है किसान को बेघर बेदर बनाया जाता है—इस एक्वोजीशन के तहत ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान को ज़मीन की कीमत जो कानून के तहत इब्ज़लाक के तहत वाजिब है वह उस को कम से कम ज़रूर मिलनी चाहिये । आप कहते हैं कि उसको मार्केट वैल्यू मिलेगी । मैं भी एक वकील हूँ और अपोजीशन के भी कई फाजिल दोस्त जो वकील हैं वे इस बात को जानते हैं कि किसान की ज़मीन की क्या हालत होती है किसान को ज़मीन की कीमत वसूल करने में कितना रुपया बरबाद करना पड़ता

है। सब से पहले तो पटवारी नूटता है उस के बाद जब वह अमानत में जाता है तो अमानत का सारा भ्रमला धीरे भूमी उसकी खाल उतारते हैं। उस के बाद मीचे से ले कर ऊपर तक तीन साल तक छोटे से छोटे मुकदमे में बका 107 धीरे 151 या 109 धीरे 110 के मुकदमे में अगर हिसाब लगायें तो पांच हजार से दस हजार २० तक उस का लिटिगेशन में खर्च हो जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद बकील हैं, आप जानते हैं कि इस में ठेके होते हैं मैं इस पेश की कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ लेकिन यह फैक्ट है कि किसान को जो मुभावजा मिलता है, उसका 50 फीसदी ये लोग चट कर जाते हैं। इसलिए तीन साल का जो वक्त दिया गया है वह बहुत ज्यादा है यह भी उसके लिये एक तलवार है।

बाकी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ—एक लम्बा निर्लज्जता है, बूढ़ि आपने घंटों बजा दी है और टाइम बहुत कमती है इसलिए दो-चार बात गीर आपकी खिदमत में भ्रज करना चाहता हूँ। एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान को पूरा इन्सानो हक मिलना चाहिये। यह जो कानून थाया है यह कानून उस को हक नहीं देता है उस को उस के हक से महकूम करता है। कानून के तेहत आईन के मुनाबिक उस को ठोक रीता मिले और वह लम्बे लिटिगेशन से बच जाय—ऐसा इन में इन्तजाम होना चाहिये। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस कानून को यहां पेश करने के बजाय इन के बारे में पब्लिक प्रोपीनियन ली जाय या इन को मिनिस्ट्र कमेटी के सुपुर्द किया जाय। मेरी यह दरख्वास्त है कि जल्दवाजी न की जाय। इस में करोड़ों भावमियों की जिन्दगी का सवाल है उनके रोजगार का सवाल है इच्छाक भी इस बात को मानता है आईन भी इस बात को मानता है इन्साक भी इस बात को मानता है—जब एक्ट इन्तकाले-भाराजी सुधीम कोर्ट नमत सनस सकती वो वह मन्सूब हो सकता था तो यह कानून भी जो कि एफ खपब कानून है एक्सेप्ट हो सकता है।

133 (A) LSD—7.

इस पर जल्दी न की जाय। इस कानून को या तो वापिस लिया जाय या सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। पब्लिक प्रोपीनियन लेने के बाद धीरे इस में सुटेबुल धर्ममेंट करने के बाद फिर इस बिल को पासलेट किया जाय। अब बूकि मेरा समय खत्म हो गया है और आप दो बार बंटी बजा चुके हैं इसलिए और अधिक ब कह कर मैं समाप्त करूंगा। अगर मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो मैं उस के लिए आप से माफी चाहूंगा।

15 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kanwarlal Gupta.

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री सरजू पाण्डेय : उन के ग्रुप के श्री बलराज मधोक बोल चुके हैं आखिर यहां पर स्पीकर को बुलाने का कोई प्रोवीजर होगा ?

Mr. Deputy-Speaker: I have called Shri Kanwarlal Gupta.

Shri Sarjoo Pandey: Shri Madhok spoke yesterday from that party. What procedure are you following? I want your ruling on this.

Mr. Deputy-Speaker: I am following the procedure and you will get an opportunity.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो बिल सदन के सामने रक्खा है सभी सदस्यों ने उसका विरोध किया है और यह भांग की है कि इस बिल को या तो जनता की राय के लिए भेजा जाय या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। मैं समझता हूँ कि सरकार जब चारों तरफ से यह धावाज सुन रही है तो जरूर इस के ऊपर कुछ अमल करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार को कोई और ज्यादा अधिकार देने के बारे में कोई एतराज नहीं होता यदि सरकार ने कुछ काम कर के बतलाया होता यदि सरकार के कुछ जनहित या देश की सेवा कर के। इसके

[श्री: कंठर ल. ल. गुप्त]

जरिए बताई होती। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि यह जो सरकार है यह पायस डिस्लेरेगस करती है, बड़े-बड़े बायदे करती है, बड़े-बड़े प्रॉटेक्टिव स्लोगस बेती है। तरह तरह के नारे लगा कर लोगों से अधिकार ले लेती है इन सदन से अधिकार ले लेती है लेकिन जब वाम का मवाल आता है तो उस की हाउस में बात नहीं आती।

मेरे एक साथी ने कहा कि वह किसान के बेटे है लेकिन 20 सान की आजादी के बाद भी इस सरकार ने उन्हें सैकंड रेट सिटीजन बनाया हुआ है। उन की कोई इज्जत नहीं है। एक कांग्रेस सदस्य ने कहा कि जो गांव वाले है वह लूटे जा रहे हैं और सरमायेदार अपनी झोलिया भरे जा रहे हैं। क्या मैं आप के जरिए उन से प्रार्थना करूं कि अगर सरकार आप की इस बात को नहीं सुनती है तो क्या आप उन किसानों की बात नहीं सुनेंगे? क्या आप भी गद्दी पर बैठ कर गद्दी की लालच से तिमि भी की चीख पुः की नहीं सुनेंगे। अगर आप के कान भी और सरकार के कान भी बहरे हैं तो कृपा करके आप के कान तो खुलने चाहिए और ऐसे कान अगर उस तरह 20-25 भी खुल गये तो यह सरकार उलट सकती है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

दूसरी बात उधर की तरफ से कुछ लोगों ने कही कि दिल्ली डेवलपमेंट के लिए बहुत सी बातें कही जाती है। दिल्ली की भी कहानी अभी तक अनटोल्ड रही है। जनरल कौल ने दी अनटोल्ड स्टोरी रक्खी मैं कहूंगा की दिल्ली की भी कहानी अनटोल्ड स्टोरी है। 15 साल तक यहा कांग्रेस के सदस्य रहे लेकिन दिल्ली के लोगों की क्या भावनाएं हैं आज तक वह इस पार्लियामेंट के सदन में कभी नहीं रक्खी गई। दिल्ली की समस्या को देखिये कि यहां पर आज 60,000 एकड़ लैंड एक्वीजीशन एक्ट के सेक्शन 4 के अन्दर रक्खी गई है। 1981 तक कोई भी जमीन

जो दिल्ली में डेवलप हो सकती है वह एक इंच भी सरकार ने नहीं छोड़ी है और 60 हजार एकड़ जमीन सेक्शन 4 के तहत कर ली गई है जिसका कि नतीजा यह है कि न वहां पर मकान बनाये जा सकते हैं न बच्चा खेती होनी है। वहा सेकड़ों नहीं हजारों लोगों को बेकार कर दिया गया और जमीन लेने के बाद 1957 से यह एक्वीजीशन का प्रोसेस शुरू हुआ और आज दस साल के बाद इस 60,000 एकड़ में से इन्होंने जो एक्वायर किया है जो प्लानिंग में लिया है वह केवल 25,000 एकड़ जमीन ली गई है। 25,000 में से केवल साठे 14 हजार एकड़ जमीन डेवलप करने के लिए दी है। साठे 14 हजार जो डेवलप करने के लिए दी है उस में केवल 7,000 एकड़ जमीन डेवलप हुई है और दस साल बीतने के बाद यह जो 25,000 एकड़ जमीन अपने एक्वायर की, 50 करोड़ रुपया उस के उपर खर्च किया गया और 50 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज दिल्ली की जो मकानों की समस्या है उस की क्या हालत है मैं वह भी थोड़ी सी बताना चाहता हू।

दिल्ली के अन्दर डेढ़ लाख आवादी हर साल बढ़ती है और अगर दिल्ली की जो स्थिति आज है उसको बैसे का बसा रक्खा जाय तो 30,000 टैनेमेंट्स इण्डियन यूनिट्स बनानी चाहिए। 30,000 बनाने के बाद कोई स्थिति में तबलीबी नहीं होती लेकिन दिल्ली का एक मास्टर प्लान बनया गया। यहा पर दिल्ली डेवलपमेंट एथॉरिटी बनाई गई और उस मास्टर प्लान को जिस में बनाया वह लंदन का, न्यूयार्क का, वाशिंगटन का और मास्को का रूबाब लेकर रहता था। दिल्ली में है लेकिन डिजाइन वहा का रख कर बनाया गया। उन का वास्ता दिल्ली की गलियों से नहीं, हिन्दुस्तान के गांवों से नहीं वह एक इमैजिनरी यूटोपियन स्कोम बनाई गई जिसका व्यवहार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब कोई सुझाव जाता है किसी चीज

के बारे में और लोगों की चिन्कत बतलाई जाती है तो सरकार एक चीज सामने रख बेसी है मास्टर प्लान की जिसको कि मास्टर नहीं किया जा सकता। अब वेदों में परिवर्तन हो सकता है या कुरान के अन्दर बदल आ सकता है, बाईबिल बदली जा सकती है लेकिन यह काथेस गवर्नमेंट का बनाया हुआ मास्टर प्लान नहीं बदला जा सकता है। इस तरीके से उस को समझना और व्यवहार से परे रखना यह सलत होगा। मैं अपने माननीय मंत्री से चाहूंगा कि भगवान के लिए वह अपने इस मास्टर प्लान को वेद और कुरान न बनाये। लेकिन इस के हिसाब से मैं ने बतलाया कि 30,000 टैनेमेंट्स एक साल में बनने चाहिए। दिल्ली का स्टेट्स को मेटेन करने के लिए, बैकनौग फिनना है वह भी मैं आप के मुझे बतल ऊंगा।

1 लाख 45 हजार मकानों की कमी 1960 में दिल्ली में था। मास्टर प्लान के हिसाब से 1 लाख 45 हजार मकानों की कमी थी आज 1966 से 7 साल बीतने के बाद मास्टर प्लान बनने के बाद 2 लाख 70 हजार टैनेमेंट्स की कमी पड़ गयी। इस का मतलब यह है कि 1 लाख का बैकरीग वह उस में और भी शामिल हो गया। उस में डी० डी० ए० के क्या किया? डी० डी० ए० का ६ न सिछने दस सालों में आज ही सदन के सामने मंत्री महोदय ने बतलाया कि 1057-58 से लेकर 1967 तक 1 करोड़ 30 लाख रुपया उम का ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हुआ है। 1 करोड़ 30 लाख और कितने कितने बनाये? मैं अपने आई श्री रणधीर सिंह को कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होने के बाद केवल 180 क्वार्टर्स बनाये 10 साल में। और उस 180 क्वार्टर्स के बनने के बाद भी उस को ऐलाट एक क्वार्टर्स भी नहीं हुआ। इस के अन्दर भादमी अभी तक एक भी नहीं बसा। नतीजा यह है कि 10 साल तक यह स्कीम

चल रही है, प्लांड डेवलपमेंट हो रहा है, नारे-बाजी हो रही है, लोगों की जमीन ली जा रही है लेकिन आज क्या डेवलपमेंट आप ने किया? प्लांड डेवलपमेंट का नारा लगा कर रह गये हैं, नारा कोई प्लान नहीं है और न कोई डेवलपमेंट है। दोनों ही चीजे बेकार हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप क्या करते हैं? जमीन लेते हैं किसान की। रुपया, 2 रुपये गज और दिल्ली के अन्दर आप उन जमीनों को नीलाम करते हैं 40 रुपये गज, 100 रुपये गज, 150 रुपये गज और 200 रुपये गज तक। 150 रुपये गज तक जमीन नीलाम की गई है। यह जो ब्लैकमार्केटिंग है मरवार की वह बंद होनी चाहिए ब्लैकमार्केट करने वाले व्यापारियों को तो सरकार कसती है और उन्हें बंद करती है लेकिन सरकार जो इस तरह स्वयं ब्लैकमार्केटिंग करती है उस के मंत्री महोदय के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? हो सकता है कि आज जनता आप का कुछ न बिगाड़ सके। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूँ कि वह दिन नजदीक आ रहा है हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्से में तो वह आ गया यहाँ भी नजदीक आ रहा है कि जनता आप से चुन चुन कर बदला लेगी। जिस प्रकार से आप ने लोगों के साथ व्यवहार किया उस के ऊपर लोगों को खेद है।

एक चीज की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर दफा 4 के अन्दर जो जमीन ऐक्वायर की गई है उस के अन्दर करीब 210 भवन-आधाराइज कालोनीज हैं और वहाँ पर करीब 55 हजार प्लाट हैं। उन 55 हजार प्लाटों में से लगभग 40 हजार प्लाटों पर भवन बन चुके हैं। इन 40 हजार प्लाटों के ऊपर करीब एक लाख परिवार रहते हैं। 5 लाख लोगों को उगाड़ने और उन की जमीन को कब्जे में लेने और बने हुए मकानों

[श्री कंवर लाल गुप्त]

को गिराने की धमकी देना इन्सान के साथ इन्सानियत का सलूक भारत सरकार के द्वारा करना नहीं है यह कोई ब्यवहारिक बात नहीं। सरकार बार बार कहती है कि हम उन्हें रेगुलाराइज करने। इस लिये सरकार का अपनी नीति बदलनी चाहिये और अगर मास्टर प्लान में भी परिवर्तन करने की जरूरत हो तो जनता की सेवा के लिये और जनता के हित को सामने कर उसे करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप मड़कों पर मकान बना दीजिये, मैं नहीं कहता कि जो खली जगह है उस पर आप मकान बनायें लेकिन जिन लोगों ने मकान बना लिये उन को हम किस तरीके से नहीं गिरा सकते हैं जो बसें हुए लोगों को किस प्रकार से हम न उजाड़े इस की कोशिश वह जरूर कर सकती है और यह उसे करना चाहिये।

दिल्ली आहिस्ता आहिस्ता स्लम की तरफ जा रही है। आप को जान करके दुख होगा कि सन 1960 में यहाँ पर केवल 30 हजार झोंपड़ियाँ थीं और 1967 में वह करीब एक लाख के हो गई हैं। यानी एक लाख परिवार यहाँ झोंपड़ियों में रहते हैं। आप ने इतने लार्जस्केल पर ऐम्बिजिशन किया लोगों की जमीनें छीनीं लेकिन आप ने उन को मजबूर कर दिया कि वह लोग घर छोड़ कर झोंपड़ियों में जाकर रहें। एक तरफ तो हमारी प्रधान मंत्री हैं मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूँ उन का बड़ा सत्कार करता हूँ, मैं उन के सम्मान के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहना चाहता। एक झगड़ा चला हुआ है कि मकानों यह हो या वह हो इस एकड़ का हो या पांच एकड़ का हो। हमें अपने मंत्रियों को सुविधायें देनी हैं हमें देना चाहिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें, लेकिन इन मंत्रियों का फर्ज नहीं कि जो और इन्सान रहते हैं, जो गहरी रहते हैं, कम से कम उन के लिये भी कोई छत हो, उन के बच्चों को भी सर्वाँ और गर्मी लगती है।

लेकिन सरकार आखिँ मूढ़ कर के अपनी कोठियों की बात सोचती है, यहाँ के मजदूरों, किसानों ठेले वालों सुबह से शाम तक जो टिक टिक कर तांगा हाकता है उस की तरफ ध्यान नहीं देती। यह दिल्ली एक स्लम बनती जा रही है और वह दिन दूर नहीं कि अगर यही तरीका रहा और यह लार्ज स्केल ऐम्बिजिशन होता रहा उस के ऊपर कोई चेक नहीं रखा गया तो दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा गाँव बनता जायेगा जिन में कोई भी नागरिक सुविधायें नहीं होंगी।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के बीच में भी कोई समय निश्चित करनी चाहिये। अब क्या हो रहा है। मैं एक केस दिल्ली का जानता हूँ जिन में मेरी पैदाइश के पहले सेक्शन 4 का नोटिस हुआ।

Shri Annasahib Shinde: May I say for the information of the hon. Member that the present Bill provides for a specific time-limit between a notification under section 4 and a declaration under section 6?

श्री कंवर लाल गुप्त : जहाँ तक मैं समझता हूँ सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के बीच में कोई समय नहीं। इस बिल में एक प्राबिजन है और वह यह कि सेक्शन 4 में जब नोटिफाई आप करते हैं तो उस के बाद तीन साल या दो साल के सेक्शन 6 का डिक्लैरेशन करना होगा। लेकिन सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के बीच में जो समय होना चाहिए वह भी अब निश्चित किया जाये। अगर मैं इसमें गलती करता हूँ तो मंत्री महाशय मुझे बतलावें।

Shri Annasahib Shinde: A time-limit has been provided in the Bill itself.

Shri Kanwar Lal Gupta: Not for this.

अध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं हुआ है। मुझे एक केस का पता है उस पर सेक्शन 4 का नोटिस सन् 1922 में भुक्त हुआ जब कि मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था। मैं कारपोरेशन का मेम्बर भी था तब भी कुछ नहीं हुआ और अगर यही प्रोसेस रही तो हो सकता है कि मेरा सबका भी कारपोरेशन का मेम्बर बन जाय, लेकिन वहाँ डेबेलपमेंट नहीं होना। जिस तरीके से इस की स्वीड चल रही है, उस से अगर आप और अधिकार हम से मांगते हैं तो मुझे कहना है कि इस में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप पहले कुछ कर के दिखालाइये। अपने किरायदार से कहिए कि हमें प्लैन्ड डेबेलपमेंट करना है, और उस को कर के दिखालाइये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 में और कम्प्लेन्शन में कोई समय निर्धारित होना चाहिए और मेरे ब्याल से यह तीन साल में कम्प्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो आप लोगों को कम्प्लेन्शन देना प्रभाव्य करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को कम्प्लेन्शन न देना पड़े। जब आप सेक्शन 4 का नोटिस देते हैं तो उस के बाद दस-बस, पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस साल तक सेक्शन 6 का नोटिस नहीं होता। आप मंगे तो 1 ४० तज लेकिन जब आप कोआपरेटिव सोसायटीज को जमीन देते हैं, लोगों को बेचते हैं, तब मार्केट रेट पर आकलन कर के देते हैं। मंत्री महोदय को यह ब्लैक मार्केट नहीं करनी चाहिए।

Shri Ananashib Shinde: If the hon. Member will kindly listen to me patiently, on this point also we have provided for payment of interest if the declaration does not come within three years for the pending cases.

श्री अनाशब शिन्दे : आप ने केवल यह कहा है कि इंटरेस्ट देंगे। मैं चाहता हूँ कि

आप निश्चित कीजिये कि पहले के हों या बाद के हों, तीन साल ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए सेक्शन 4 में कम्प्लेन्शन देने में। अगर इस में देर होती है तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी सोसायटी की जमीन को सें और मार्केट के भाव पर बेचें।

मेरे ब्याल से यह बिल इन्कम्प्लीट है और सैंड ऐन्विजिजन ऐक्ट की भी कई और चीजें हैं जिन के अन्दर हम को जाना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये ताकि इस की तफसील से एम्बायरी हो क्योंकि इस बिल के जरिये-सरकार अधिकार लेना चाहती है और कवर करना चाहती है अपनी इनफ्रिंजाएन्सी और नेपाटिज्म को। जो करप्शन हो रहा है उस के बँकने के लिए अधिकार मांगती है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि दिल्ली के अन्दर जो अन-आबराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस में एक कारण यह है कि आप के लार्ज स्केल ऐन्विजिजने किया है। मैं आप के जरिए से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जितनी जमीन का डेबेलपमेंट आप पांच साल में कर सकते हैं उतनी जमीन को ही सेक्शन 4 और 6 में रखाए, बाकी जमीनों को छोड़ दीजिए। अगर आप यह कहें कि यह पहले से प्लैन्ड नहीं हो सकता तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस का हवाला मंत्री महोदय ने दिया है और जिस को जब ने स्वयम अपने फीलने में लिखा है, उस को मैं आप की सेवा में पढ़ना चाहता हूँ।

"It was stated that the Government may have difficulty in making the plan of its project complete at a time particularly when the project is large and, therefore, it is necessary that it should have the power to make a number of declarations under sec. 6. I am who'y unable to accept this argument".

[श्री कंवर ल.स गुप्ता]

"I cannot imagine a Government which has vast resources not being able to make a complete plan of its project at a time. Indeed, I think when a plan is made, it is a complete plan. I should suppose that before the Government starts acquisition proceedings by the issue of a notification under sec. 4, it has made its plan, for otherwise it cannot state in notification, as it has to do, that the land is likely to be needed. Even if it had not completed its plan, it would have enough time before the making of the declaration under sec. 6 to do so".

जो भाव इस फैसले में व्यक्त किये गये हैं इस बिल में उनकी स्पिरिट को ही खत्म करने की बात है। इसलिए मैंने कहा है कि प्लानिंग की कमी है। इस बजह से और आपके यहाँ जो इनएफिकिंसी है उसकी बजह से आप अधिकार उभावा मत लीजिये। दिल्ली में जितनी धनप्रायोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है वह केवल सरकार की गलत हाउसिंग पालिसी की बजह से हुई है। आपको चाहिए कि आप दिल्ली की हाउसिंग प्राबलैम को डिनामिक तरीके से हल करें। लंदन में जो यू० के० की कैंबिनेट है उसने एक सब-कमेटी बना रखी है और वह लंदन की हाउसिंग प्राबलैम को देखती है। हमारे यहाँ खिचड़ी बनी हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आज तक कोई हाउसिंग स्कीम बनी ही नहीं है। दिल्ली में कोई सोशल हाउसिंग स्कीम नाम की चिड़िया नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी बांलों को कभी पक्कीस गज और कभी भत्सी गज जमीन देने की बात होती है। गमियों में पक्कीस गज, सबियों में भत्सी गज और बर्बा में फिर पक्कीस गज देने की बात कह दी जाती है। कोई निश्चित पालिसी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में धनप्रायोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकने का तरीका

यह नहीं है कि पुलिस भेज दी जाए और लोगों के मकान तुड़वा दिये जायें। आपने एमरजेंसी पाबंद की है। लेकिन इन पाबंद को लेने के बाद भी दिल्ली में धनप्रायोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन्द नहीं हुआ है। इसको बन्द करने का तरीका यह है कि दिल्ली के लिए एक अच्छी हाउसिंग स्कीम बने, सभी लोगों के विचार मांगे जायें उनको देखा जाए, उन पर विचार किया जाए और यह जो बिल है इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए।

Shri Nath Pai (Rajapur): May I make a small enquiry? We have given the name of Mr. Srinibasa Misra. May I know when you propose to call him? Some indication will be always helpful.

Mr. Deputy-Speaker: Shortly.

जीवन्ती गंगा बेबी (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस बिल पर चर्चा चल रही है वह लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 का एमेंडमेंट बताया जा रहा है। परन्तु इस एमेंडमेंट का सीधा असर उस कानून की धारा 23 पर पड़ता है जिस में वह नियम दिये गये हैं, जिन से मुद्राबन्ना तय किया जाता है। मैं आपके सम्मुख उसे पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ।

"Matters to be considered in determining Compensation:

- (1) In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Court shall take into consideration—

first, the market value of the land at the date of the publication of the notification under section 4, sub-section (1) ..."

आप अब समझ गए होंगे कि धारा 4 का भत्सी गज मुद्राबन्ने से है।

सबान इस बात का नहीं है कि सरकार को भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कत होती है, बल्कि असली प्रश्न और असली दिक्कत सरकार की मंशा की है, भावना की है कि वह जमीन के मालिक को जो आज जमीनदारी के आरम्भ के बाद किसान लोग हैं, उनको उनकी जमीन का पूरा मुआवजा देना नहीं चाहती और उसकी भूमि को एक बार धारा 4 का गजट करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके कई बार धारा 6 का गजट करके लेना चाहती है। और किसान को जो वक्त के गुजरने से कीमत में बढ़ोतरी होती है उससे बंचित करना चाहती है।

सरकार स्वयं सोचे कि जो गजट धारा 4 के जून 1966 से पहले हुए उनके अन्तर्गत किसानों को जमीनों की पुरानी कीमत क्यों न मिले? जब कि 6 जून को रुपया 57 प्रतिशत नीचे गिरा दिया गया और भारत के अन्दर भी हर चीज की और जमीन की भी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई।

मंत्री महोदय ने एक संशोधन 6 परसेंट सूद दिलाने का पेश किया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार भी यह मानती है कि बार बार धारा 6 का गजट करके कई वर्षों में किसान की भूमि लेने से उसको विधेय आर्थिक हानि होती चली जाएगी। 6 प्रतिशत सूद लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 34 में कब्जा लेने की तारीख से अनिवार्य रूप से सरकार को देना ही पड़ता है। यह न्यायसंगत भी है। परन्तु जिस भूमि का सरकार ने आज से दस वर्ष पहले धारा 4 का गजट किया और अब तक छोड़ रखा और कब तक धारा 6 का गजट करके कब्जा नहीं लिया, परन्तु आज धारा 6 का गजट करके कब्जा लेती है, तो किस प्रकार सात वर्ष का सूद सरकार दे सकेगी।

15.23 hrs.

[SHEP P. K. DAO in the Chair]

मैं सरकार के सामने गाजियाबाद की विज्ञापन भी रखना चाहती हूँ। बुलाई,

1960 में 35,000 एकड़ भूमि का धारा 4 का गजट दिल्ली की नकल करके किया गया असली मंशा सरकार की यह थी कि जमीन का बढ़ता हुआ और मुनाफे वाला ध्यापार अपने हाथ में ले ले। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी बन गया। परन्तु पिछले साढ़े छः वर्षों में धारा 6 के गजट को चार बार करने के बाद भी कुल भूमि पर कब्जा नहीं किया गया क्योंकि सरकार न उचित कीमत न देना चाहती है, और न सूद ही। गाजियाबाद में लाखों रुपये खर्च करके किसानों में रिट दायर किए और सरकार को कोर्ट फीस भी दी और कोर्ट से यह तय करा लिया कि यह बार बार के धारा 6 के गजट नाजायज थे। इससे किसानों को यह हक हासिल हो गया कि सरकार धारा 4 का नया गजट करे और उस नए गजट की तारीख की मार्किट वैल्यू किसान को दें। सरकार से झगडा था, किसान सरकार से जीत गया। यू० पी० में हाई कोर्ट में और मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में। परन्तु सब कोर्ट फीन बसूल कर लेने के बाद भी सरकार अपनी ताकत के बल पर कहती है कि हम ही जीते हैं और वह भी आर्बिनेन्स इन संसद् में ला कर। बड़ी इज्जत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे फण्डामेंटल राइट्स का संरक्षक है।

यहां गाजियाबाद का एक और नक्शा मैं मंत्री महोदय के सामने रखती हूँ। गाजियाबाद मेरठ जिले में है। मेरठ जिले से कांग्रेस के तीन एम० पी० और पंद्रह एम० एल० ए० चुने जाया करते थे। परन्तु गाजियाबाद की लैंड पॉलिसी जैसे और आज के एग्जिमेन्ट्स बिल जैसे अनुचित कार्यों के कारण केवल चार कांग्रेसी एम० एल० ए० इस बार इस जिले से चुने गए और इन में से भी तीन जनकायसी बन गए। यह वह नीति है जोकि आप के एडमिनिस्ट्रेशन में यू० पी० में गाजियाबाद के किसानों के साथ खेनी है। किसानों ने बहुत एग्रेस किया, बहुत कोविच की कि यू० पी० वर्नमेंट

[श्रीमती मंगा देवी]

उनके साथ सम्मोहाइस कर ले लेकिन सरकारी भ्रष्टाचारों के सामने हमारे मंत्री महोदय कुछ नहीं कर सके अर्थात् कोई सही फैसला नहीं दे सके ।

अब मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि यदि किसानों के साथ वहाँ इंसाफ नहीं किया गया तो उसकी प्रक्रिया देश के भविष्य के लिए हितकर नहीं होगी । अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और यही नीति सरकार की रही तो हमारी पार्टी पता नहीं क्या करेगी और कहाँ जाएगी ।

Mr. Chairman: Shri Sarjoo Pandey.

Shri Sonavane (Pandharpur): On a point of order.

Mr. Chairman: You should quote the rules.

Shri Sonavane: Direction No. 115A— I am ready with it. I would draw your attention to rule 115A (2) which reads as follows: Un'ess a Member rises in his seat and catches the Speaker's eye, he shall not be called upon by the Speaker to speak...

Mr. Chairman: He has already caught my eye. Will you please resume your seat?

Shri Sonavane: Did he rise in his seat?

Mr. Chairman: This is an aspersion on the Chair. Will he please sit down?

Shri Sonavane: I am not casting any aspersion. But the fact is that he did not stand up in his seat.

Mr. Chairman: Order, order. I have called Shri Sarjoo Pandey.

श्री सरजू पाण्डेय : सभापति महोदय, सदन के सामने जो बिल है, लगभग सभी वर्गों के माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है । अलग अलग प्रदेशों के माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि किस तरह से इस कानून के द्वारा हजारों

और लाखों लोगों की जमीन छीनी गई है। कस एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि इस कानून में कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि "पब्लिक परपय" का क्या मतलब है । सरकार जिस जमीन को लेना चाहती है, उसको छीन लेती है, हजारों धादमियों को बेदखल करती है और अच्छी अच्छी खेती लायक जमीनों को ले कर उन पर महुल खड़े करती है ।

यह बिल सिर्फ इसलिये सदन में लाया गया है कि सरकार के वीर-कानूनी कार्यों को कानूनी रूप दिया जाये । इस देश के सब से बड़े न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि सरकार ने जितनी भी जमीनें एक्वायर की है, वे असंवैधानिक तरीके से एक्वायर की गई हैं । सरकार की इस कार्यवाही को संवैधानिक रूप देने के लिये ही मंत्री महोदय ने यह विधेयक सदन के सामने रखा है ।

इस बहस के दौरान एक कांग्रेसी सदस्य बड़े जोरों से किसान के बेटों की बुलाई दे रहे थे । एक अन्य कांग्रेसी सदस्य बता रहे थे कि चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार के कारण इसी तरह के नियम हैं । मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहूँगा कि उन लोगों को अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं करना चाहिये । जिन कांग्रेसी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है, अगर वे वास्तव में चाहते हैं कि यह पास न हो, तो इस के खिलाफ मत देना उनका नैतिक कर्तव्य हो जाता है ।

मंत्री महोदय इस बिल को यहाँ लाए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस के अन्धर क्या है । उनके अधिकारियों ने, जिन को यहाँ के लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, हिन्दुस्तान के लोगों को तबाह और बरबाद करना जिनका पेशा है, जो कुछ तैयार किया है, मंत्री महोदय ने उसी को यहाँ बरपेश कर दिया है । मैं उन से कहूँगा कि वह अरोकेजी के संसुब से

निकलें, वहाँ यह इस देश को पाट जायेगी। यूरोपेली संशोधनों को जो कुछ सिखाती है— मुझे कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन उनको प्रकृत ही बहुत कम मिली है—, वक्रतर उन को जो कुछ उल्टा सीधा देता है, मंत्री लोग उसको सदन में पेश कर देते हैं और अनुशासन के नाम पर अपने सदस्यों से पास करा लेते हैं।

जब सरकार ने बनारस में डीजल लोको-मोटिव का कारखाना बनाने के लिये जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही की, तो हम लोगों ने, और कांग्रेस के लोगों ने भी, उसका विरोध किया। उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जिन लोगों की जमीन ली जायेगी, उनको सर्विस में फ्रंट प्रेकरें दिया जायेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ पर जैनेरन मैनेजर बुँबा बँठा हुआ है, जो सारे हिन्दुस्तान से लोगों को बुला बुला कर काम पर रखता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को जगह नहीं देता है।

सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस कानून के द्वारा आसाम, बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि सब प्रदेशों में तीन तीन और चार चार प्रति गज का मुआवजा देकर जमीन एक्वायर की जाती है। और वही जमीन 300-400 रु प्रति गज के हिसाब से बेची जाती है। दिल्ली जैसी जगहों में सरकार की नाक के नीचे हज़ारों रुपये गज के हिसाब से जमीन बेची जाती है। इसके बावजूद सरकार ने सदन में यह बिल रखा है कि उसको पावर दी जाये, जिससे किसानों के प्रपील करने के अधिकार को भी खत्म कर दिया जा सके और वह किसानों की जमीन लेकर लूट मचा सके। कांग्रेस पार्टी को अब तो कुछ सबक सीखना चाहिये। इस प्रकार के कानूनों और कार्यवाहियों ने ही उसको देश के बहुत से भागों में शासन से हटा दिया है। अगर यही हालत कायम रही और उसने अपने सदस्यों की राय का सम्मान किया, तो आखिरी और परदेश की स्थिति

बिगड़ोगी और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

मुझे यह मालूम है कि जिन लोगों की जमीन ली गई है, वही नहीं कि पांच पांच, दस दस बरस के बाद भी उन को मुआवजा नहीं दिया गया है, बल्कि अब भी उस से लैन्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। यह सरकार हम से कहती है कि अगर इस बिल को पास नहीं किया जायगा, तो सब प्रोजेक्ट्स की जमीन की एक्वीजीशन इस्लीगल हो जायेगी। यह किस की जिम्मेदारी है? अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया, जिस में लीगल फ़्ला था, कानूनी प्रश्न नहीं थीं, जिन के कारण प्रदासतों ने किसानों को प्रोटेक्ट किया, उन को बचाया, तो यह जिम्मेदारी सरकार की है और उस को सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि वह इतने महत्वपूर्ण कानूनों को जल्दी में इस सदन में पास करा लेती है।

जैसी कि हम सब ने, और कांग्रेस के सदस्यों ने भी, माँग की है, सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दे, ताकि इस की पूरी तरह से छान बीन की जा सके और यह व्यवस्था की जा सके कि इस का उपयोग न हो सके। सरकार के अधिकारी एक्वीजीशन का नोटिस इन तरीके से देते हैं कि जिन लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है, उन को इस का पता तक नहीं चलता है। सरकारी अधिकारी सम्बद्ध किसानों की धम-मीजूदगी और गैर-हाजिरी में दूसरे प्रादमियों से दस्तखत बनवा लेते हैं और प्रोट कर देते हैं कि नोटिस की तामील हो गई, जिस के परिणाम स्वरूप किसानों को अपने हितों की रक्षा करने का मौका नहीं मिलता है। इस प्रकार उन अधिकारियों ने एक्वीजीशन के सारे मामले को अछाचार का प्रदास बनावा हुआ है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि

[श्री सरजू पाण्डेय]

आदिनेम उन के पास है और उस के कारण यह कोई जरूरी नहीं है कि इस बिल को फौरन पास किया जाय। बल्कि सब से पहले एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये, जिस में बहुत विस्तार के साथ किसानों के सारे अधिकारों की सुरक्षा की गई हो। जिन लोगों की जमीनें ली जाती हैं, उन को काफी मोका दिया जाय कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। आज स्थिति यह है कि चुनके चुनके जमीन एक्वायर कर ली जाती है और उन के मालिकों को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है और वह मुआवजा भी धूलखोरी में चला जाता है। एक कांग्रेसी सदस्य ने अभी कहा कि खूब धूलखोरी होती है, लेखपाल से ले कर बड़े बड़े अधिकारी घूस खाने हैं और किसानों को उजाड़ने हैं। मैं उन कांग्रेसी सदस्य महोदय से कहूंगा कि इस सारा खुराफात की जड़ है कांग्रेस का राज्य, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का जनता से सम्पर्क टूट गया है वे जनता में नहीं जाते हैं। वे निर्भर करते हैं मिफं अपने दफ्तरों के क्लर्कों और बाबुओं पर, जो उन को घेरे रहते हैं।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बिल को वायम ले ले। मैं इस सदन के सदस्यों, और खास तौर से कांग्रेसी सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि वे कुछ करें, वना यह सरकार इस बिल के पाम होने के बाद हजारों आदिमियों को उजाड़ेगी और इस के नीकर मुल्क को लूट लूट कर खायेंगे। ये लोग चुनावों में वोट खरीदने हैं, हर तरह की क्रियाएँ करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। मंत्री महोदय इस बिल को मिलेक्ट कमेटी में भेजे और तमाम लोगों की राय लेने के बाद एक ऐसा कामिन्हेंसिब बिल लाये, जिस से किसानों की रक्षा हो सके और वे पशुपति और बड़े लोग, जो जमीन ले कर उस को खाली रखे हुए हैं, नाजायज फायदा न उठा सकें। इन बच्चों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (नेदक) : सभापति महोदय मैं इस बिल का विरोध करना चाहती हूँ।

श्री हुसैन खान कश्मीरवादी : बोट भी इस के विरोध में ही देना।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सब माननीय सदस्य इस बिल के बारे में एकमत हैं और सब ने एक ही राय प्रकट की है। मैं इस के लिये सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे मिनिस्टर साहब किसान के बच्चे हैं। हम लिये उन को अच्छी तरह से मालूम है कि किसानों की क्या समस्याएँ हैं और उन को हल करने के लिये क्या करना है।

हमारे घरों में मर्द लोग कमाते हैं और धीरतें अपनी हुशियारी से घर को सम्भालती हैं। हमारे जो हुशियार और तजुर्बेकार आफितर हैं जो बहुत एज्केटिड हैं जो देश-विदेश में जाते हैं और एक्सपर्ट बनते हैं— उन में से कितने किसानों के बच्चे हैं यह मुझे मालूम नहीं है— उन से मैं यह कहना चाहती हूँ कि कानून तो हम लोग बनाते हैं लेकिन उन की एक्सीक्यूशन वे लोग करते हैं। इस लिये उन को अपना काम हम ढंग से करना चाहिये कि हमारी साधारण जनता और हमारे किसानों को कठिनाई न हो। आज हम देखते हैं कि किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान बोलते बोलते थक गया है लेकिन उस की सुनवाई नहीं होती है। अभी कल दिल्ली के पांच छः सौ लोग डेनूटेसन में आये थे लेकिन कोई उन की बात नहीं सुनता है।

पुराने जमाने में जो गांव बसते थे मैं अपने प्लान के एक्सपर्ट से कहना चाहती हूँ कि उस समय गांव की सरहद का ध्यान रखते थे कि इतनी जमीन हों तो इन में इतने लोग बस सकते हैं, उस में हर चीज का ब्याज रखते थे कि इतनी जमीन पशुओं के चरने के लिए चाहिये। इतने दूसरे कामों के लिए चाहिए। यह गांव की एक सरहद बनाकर

रखते थे। लेकिन आज हमारे प्लान के एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? वहाँ दिल्ली से लेकर आगरा तक चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, जहाँ देखिए कहीं कोई प्लान नहीं। गाँवों में पशुओं के चरने के लिये जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं, बीच में कोई जगह नहीं। शहरों में देखिये। इंग्लैंड में मकान ऊपर को बनते हैं और यहाँ चौड़ाई में बनते हैं। फिर एक एक बंगले में देखिए पाँच पाँच हजार, दस दस हजार गज, एक एक एकड़ दो दो एकड़ जमीन लेकर घेर लेते हैं और वह जमीन बेकार पड़ी रहती है।

हमारे यहाँ इन्डिपेंडेंट आई, इसके लिये हमें खुशी है। मगर जमीन का नाश करके छोड़ दिया जाय। सब बिगाड़ दिये जमीनों को। हम ने इस देश में रहने वाले 85 प्रतिशत किसानों को नाराज कर दिया और आज इसका फल भी मिल गया सबको। किसान नाराज हो गया। इस से पहले बिजनेस वाले नाराज, सब लोग नाराज, लेकिन किसान नाराज नहीं होता था। लेकिन किसान नाराज इस वास्ते हो गया इस बार कि यह अपोजीशन वाले जा कर उन को सिखा आये और सारा मामला खराब हो गया। तो यह तमाम बान देखनी चाहिये। यहाँ से हैदराबाद को हम निकलते हैं तो दिल्ली से आगरा तक बड़े बड़े प्लॉट्स पड़े हैं। बड़ी सुन्दर सुन्दर जगहें हैं। और वह फर्टाइल इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी इतनी जमीनें लेकर बेकार डाले पड़े हैं। कोई इनकी परवा करने वाला नहीं है। किसान भी दुखी हो गया है, वह देखता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। वह भी समझता है। कि समीन कोई भी ले लेगा। आज हर एक जमीन डबनेपमेंट में आ रही है। . . . नहीं, साहब, मे नहीं, मुझे ज्यादा समय दिया जाय, मैं तो एक बार भी नहीं बोली हूँ इस सेशन में।

मैं आफिसर्स से अपील करना चाहती हूँ, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कानों से फूड कानों

से वह इस तरह प्लान हैं। आप देखें दिल्ली में 1959 में करीब 35 हजार एकड़ जमीन धारा 4 के अन्धर नोटिफाई करके छोड़ दी गई। वहाँ के किसानों को उजाड़ दिया गया। आप आर्डर करते हैं छोटे छोटे आफिसर्स जाकर उन को उठा देते हैं, फेर देते हैं। आज उस में से 50 प्रतिशत जमीन ली और सब बेकार पड़ी है। और उन को पैसा क्या देते हैं। मैं बताती हूँ। एक एक नम्बर का एवार्ड मेरे पास है। एवार्ड नम्बर 1666, उस के एवार्ड की डेट है 1958 और पैसा दिया है 670 रुपये पर बीघा। मनलब क्या होता है 20 पैसे, 12 पैसे पर यार्ड से भी कम। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ। जमीन आप लेते हैं तो उस में कुंआ होता है, उसमें पशुओं के बाधने की जगह होती है, उसमें उम की झोपड़ी होती है, इन सब का कोई हिसाब नहीं रखते। एक बीघा जमीन दिल्ली की आप खरीदते हैं 670 रुपये में। दस पैसे गज भी नहीं पड़ती। दस पैसे में तो आज एक कागज का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलती। इतनी सी मिट्टी भी दस पैसे में नहीं मिलती और आप दस पैसे गज में उस की जमीन लेते हैं। यह क्या तमाशा है? यह कैसे होता है? इस में कोई सोचने वाला नहीं है क्या? आप आज जो जमीन अपने पास लेकर रख लेते हैं उस में कोई काम नहीं करते। 20 हजार एकड़ जमीन पड़ी है हुई है। अगर पाँच पाँच मन भी फी एकड़ पैदा होता तो कितनी पैदावार होती? लेकिन नहीं, वह सारी जमीन लेकर बेकार करके डाल दिया। आज दो रुपये सेर टमाटर बिक रहा है। क्या वह उस में नहीं उगाया जा सकता था? कितनी जमीन बेकार पड़ी है?

फिर देखिये, 1958 में तो 670 रुपये पर बीघा दिया और भी, 16.3.67 को आप 700 रुपये बीघा दे रहे हैं। यानी 30 रुपये ज्यादा कर दिया। 58 में जो दिया है उसके 9 साल बाद आज 67 में 30 रुपये

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

ज्यादा करके 700 रुपया पर बीधा कर दिया। कौन सुनता है उनकी बात? वह खुदकमी कर के मर जाय, कोई उन की सुनने वाला नहीं है। इस लिये आप लोगों से ज्यादा उन को मैं धपील करती हूँ कि तमाम जांच का कागज आप के पास तैयार है, आप इस को देखिये। आखिर क्या मतलब है? किमान के देश में किसान को कोई पूछता ही नहीं। कौन आखिर यहाँ पर टिकेगा? कौन राज्य करेगा?

मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मिनिस्टर जब तक नहीं बनते तब तक लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत सवाल करते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो बनने के बाद ऐसे उस में जकड़ जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। कोई मिनिस्टर फिर मुंह नहीं खोलता। मैं पूछना चाहती हूँ आफिसर्स बैठे हैं, आफिसर्स समझते हैं कि मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं करेंगे। मुझे मालूम है। मैं भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में चार साल रही हूँ, मैं जानती हूँ वहाँ क्या हालत होती है? मिनिस्टर मुंह नहीं खोलता है, आफिसर्स मुंह नहीं खोलते हैं। मुझे खुशी है, मैं तो नाराज नहीं हूँ आप लोगों से। मैं आपकी बहन बनती हूँ, आप की मां बनती हूँ। मगर मैं दुनिया की हिस्ट्री पढ़ती हूँ, जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ती हूँ और दूसरे देशों की हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आफिसर्स ने ही उन देशों को बनाया। हमारे ही बच्चे उस में हैं। मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। मेरी कम्पेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन पर है। आखिर हम एक साल या दो साल के लिये धाये हैं लेकिन आप जो परमानेंट रहने वाले हैं। आप को तो समझ कर सब काम करने चाहिये।

Mr. Chairman: Please conclude now.

श्रीमती लक्ष्मीबाई: इस साल के एन्डर ऐग्रीकल्चर पर कितना रुपया धाप ने खर्च किया? वहाँ क्या होता है? हम मेम्बर

बन कर धाते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक एक मिनट का कई कई हजार रुपया खर्च धाता है। क्या मतलब है? धाप को देखना चाहिये, करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ ऐग्रीकल्चर पर कितना रुपया हम देते हैं? मुझे मालूम है। मैं ऐग्रीकल्चरस्ट हूँ। 25 एकड़ में मैं 150 बच्चों को खिलाती हूँ। मैं धपील करती हूँ आफिसर्स से कि जल्दी से जल्दी उन को सुधर जाना चाहिये नहीं तो बिबेगा कि हम तो दूब जायेंगे, हमारे साथ धाप भी दूब जायेंगे। आफिसर्स में हमारे बेटे भी हैं, भाई भी हैं। मैं उन से कहना चाहती हूँ सही मन्-बिरा होना चाहिये और सही काम करना चाहिये। फिजूलखर्ची बन्द कर देनी चाहिये और ऐग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिये। कितने लोग धाज रो रहे हैं, उन को पैसा नहीं देते? और एक छोटी बात कहना चाहती हूँ जब कोई जमीन लेना चाहता है तो उस को सहायता देनी चाहिये

Mr. Chairman: Please conclude. Time is over.

Shri Nanja Gowder (Nilgiris): Mr. Chairman, Sir, the Government thinks it difficult to make the plan of the project complete at a time particularly where the project is large and, therefore, thinks it necessary that it should have the power to make a number of declarations under section 6. The Supreme Court judgment, the relevant portion of which has been cited by one hon. Member earlier, I would like to read once again for the benefit of the House. In Civil Appeal No. 1018 of 1963 the hon. Justice has clearly stated:

"I cannot imagine a government which has vast resources not being able to make a complete plan of its project at a time".

He further states:

"Indeed, I think when a plan is prepared it is a complete plan. I should suppose that before the Government starts acquisition proceedings by the issue of a notification under section 4, it has to make its plan, for otherwise it cannot state in the notification, as it has to do, that the land is likely to be needed.

Even if it had not been completed its plan, it would have enough time before the making of a declaration under section 6 to do so. I think, therefore, that the difficulty of the Government even if there is one, does not lead to the conclusion, that the act contemplates the making of a number of declarations under section 6."

In my opinion, the Government wants to defend the inordinate delay in the administration. Secondly, the main aim of the Bill, in my view, is to facilitate the Government to avoid the increased payment of compensation for the owner or owners of the land after the lapse of a considerable time which is unavoidable under the present circumstances. Such thinking on the part of the Government is depriving the rightful claim of the owner or owners, and so not justifiable.

In case the price falls, which is also a possibility, it is clearly stated in the Supreme Court judgement, above cited, that as it is open to the appropriate Government to issue another notification under section 4 with respect to the same locality, after one such notification is exhausted by the issue of a notification under section 6, it may proceed to do so where it feels that prices have fallen and more land in that locality is needed and this takes advantage of the fall in the prices in the matter of acquisition. So it is clear that there is likely to be no prejudice to the owner of the land whose there will be no prejudice to the Government, if it is rejected, for it can always issue a fresh notification under section 4(1) after the previous one is exhausted in case prices have fallen.

I am, therefore, of the opinion that the Bill is more intended to deprive the public of their legitimate demand for a proper compensation than merely to legalise what has already been done. The Government in their dealings with the public should show exemplary honesty and hence it does not behove Government to deprive the landowners of the enhanced price of land. I, therefore, suggest that the Bill be circulated for eliciting public opinion or be referred to a Select Committee.

Mr. Chairman: The hon. Minister.

Shri Himatsingka (Godda): Sir, I wanted to speak on this.

Mr. Chairman: There is a long list of speakers and the time is limited. You can speak during the clause-by-clause consideration.

Shri Himatsingka: How can I speak on the clauses when I could not speak during the general discussion?

Mr. Chairman: So many Members wanted to speak. I was instructed by the Deputy-Speaker that the Minister will be called at a quarter to four. It is already past a quarter to four.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The point is this. Up till now those who have spoken have all spoken against the Bill. There might have been speakers who would have supported the Bill... (Interruption).

Mr. Chairman: Do you want more time?

Shri Annasahib Shinde: Sir, the time is so limited. The hon. Members who are expressing their anxiety to speak may be allowed at the subsequent stage of the Bill.

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore): If you want to send it to the Select Committee, we can avoid further discussion.

Shri Annasahib Shinde: I shall be making observations about it.

[Shri Annasahib Shinde]

Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the House and to the large number of Members who have participated in this debate. The large number of Members have voiced their criticisms against the Bill and some of them have expressed very strongly their feelings. I entirely share their views and their feelings and as a farmer I know the difficulties of the farmers. I may give you my personal experience. A piece of land which I was cultivating as a tenant was acquired and the period between the acquisition and the payment of compensation was more than 10 years. So, I can quite see the validity of the criticisms made on the floor of the House.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):
Withdraw the Bill.

Shri Annasahib Shinde: Please bear with me.

I quite see that there are certain genuine grievances against the Bill. Some of the Members have really highlighted the need to examine the entire scheme of the Act. There have been various shortcomings in the Act itself. As is well known to the House, the original Act was enacted in the year 1894 and the times have now completely changed though there have been some amendments from time to time and the Law Commission also looked into it and a committee of experts was also set up by the Ministry of Food and Agriculture to look into the various provisions of the Act.

Sir, I know, many times the agricultural lands are acquired for non-agricultural purposes. Sometimes, after acquisition, the lands acquired remain unutilised for no reason and sometimes there are complaints about the adequacy of compensation. Even when the compensation proceedings are going on, considerable delays take place. There are hundreds of instances where compensation was not paid in time. In addition to that, there have been administrative delays. That is why I submit that there is the need to examine the entire scheme of the

Act and, as I have assured the House while making preliminary observations on the Bill yesterday evening, we wish to appoint a Parliamentary Committee to go into the entire scheme of the Act. Of course, it is a Concurrent subject and, therefore, the representatives of the State Governments will have to be associated with that Parliamentary Committee. Moreover, it being a legal issue, legal experts will have to be associated with it. As and when the Committee submits its recommendations to Parliament, we shall be bringing a new legislation before the House. I think, that should satisfy the hon. Members and also the persons who are aggrieved, that is, the farmers.

As far as the present legislation is concerned, I think, there is considerable misunderstanding about the Bill that has been brought before the House. For instance, I may bring to the notice of the House one of the provisions of the Bill. One of the hon. Members from Delhi said that there was considerable delay between the time when the notification under section 4 is issued and the time when declaration under section 6 is made. That is a valid criticism. Now, in order to overcome that, the present Bill provides that from the time notification is issued under section 4 and declaration is made under section 6 the maximum time-limit that should be allowed will be three years. I think that is an improvement on the present position of the Act and as far as that provision is concerned, I do not know why the hon. members should oppose that. That is a very healthy provision and that will go a long way to improve the present working of the Act.

16 hrs. -

Some hon. members have suggested some amendments as far as the time factor is concerned. Some members have suggested that it should be three months and some have suggested six months, like that. May I say that it is

really a very difficult and a complex matter? In fact, the Law Commission itself has looked into this and the Law Commission itself has suggested this—not that I am implying thereby that the House should accept this; I am only trying to bring to the notice of the House certain complications involved in the scheme of the Act. When the Law Commission examined the scheme of the Act, it suggested various time limits for various procedures: for instance, for survey and investigation under Section 4(2), the Law Commission suggested that three to six months' time should be provided; then, for filing of objections under Section 5A, one month from preliminary notification under Section 4(1) should be provided; then, hearing of objections and report of the Collector to Government, 1-1/2 to 2 months should be provided; order to the Collector to prepare a plan, 1-1/2 months; preparation of plan, two months; declaration under Section 6 that land is needed for a public purpose, one month from preparation of plan; taking possession of land under Section 16, after the award is made, two months which may be extended to four months, from the date of declaration under Section 6 that land is needed for a public purpose; notice, enquiry and offer of compensation by the Collector, 12 months which may be extended to 16 months, in all, from preliminary notification under Section 4(1).

If you take into consideration the various time limits prescribed by the Law Commission the total comes to 27 to 28 months. Of course, it is for the completion of the entire proceedings under the Land Acquisition Act. The limited point that I was submitting was this. The provision which has been made in the present Bill, namely, that the time limit between notification under Section 4 and declaration under Section 6 should be limited to three years is a very helpful provision and that will perhaps reduce a number of difficulties which come in the way of implementation of the Act. I would like to request the hon. House that,

as for as this provision is concerned, there should be no objection whatsoever. In case the provision is accepted and the declaration is made after three years, then the entire proceedings would be null and void, and if the Government wants to proceed again under Section 4 to acquire the land, then the entire proceedings will have to be started ab initio.

Similarly, there is one more provision about which there appears to be some misunderstanding. In the original Act itself, there are certain provisions in regard to interest. For instance, Sections 34 and 28 provide for payment of interest under certain circumstances. Now we have gone a little ahead. Many members have criticised that there has been delay in making declaration under Section 6 and also in making payment of compensation. The present Bill provides that, as far as pending cases are concerned, if the delay is beyond three years.

An hon. Member: Two years.

Shri Annasahib Shinde: For interest, it is three years.

If the delay is beyond three years, the owner himself will be entitled to have interest at six per cent on the market value, i.e., the market value as determined with relation to the date on which notification under Section 4 is issued.

So, I do not know why hon. Members should oppose this provision also.

The real difficulty comes in where the validation part of the Bill is concerned. There are obviously certain difficulties and that is why Government has come forward with this legislation. As the House is aware, an ordinance has already been issued, and if we do not pass this Bill now, the ordinance will lapse. The main object of issuing the ordinance was this. There are a number of cases pending in the various States and which vitally concern a number of projects such as, for ins-

[Shri Annasahib Shinde]

tance, the Bailai project, the Bokaro project, the Delhi Development Authority and a number of other similar departmental projects.

With regard to cases in which more than one declaration under section 6 has been issued, I would like to explain the various implications of the Supreme Court judgment. Take the case of the Bhilai steel project. It is true that the preliminary notification under section 4 was followed by a number of declarations under section 6. The bulk of the area has been acquired and the steel plant is already in operation. A bustling town with various civic amenities like hospitals, roads etc. already exists, but according to the Supreme Court judgment, the acquisition of lands covered by all such declarations except the first declaration under section 6 are invalid. What is the remedy? Should we pull down the buildings and restore the land to the original owners? Will this be in the national interest? Obviously, we have to validate what had been done in the past. While doing so, we are providing for payment of interest in all these cases where the delay in the issue of the declaration was more than three years.

I may mention another example in this context. The Delhi Administration issued a preliminary notification in respect of certain areas in South Delhi. Several declarations under section 6 have been issued according to the phased programme of development. On some of these lands, the All India Institute of Medical Sciences has been built. If all the declarations subsequent to the first declaration under section 6 are invalidated, then the lands on which the hospital and laboratory stand will have to be restored to the original owners. There lies the genuine hardship.

In all these cases, the original owners have already been paid compensation according to law. We have no choice but to validate such declarations.

I hope hon. Members will appreciate this situation.

Then, there has been some criticism about lands acquired round about Delhi. I do not mean to suggest that every acquisition proceeding is justified or there may not have been any wrong action taken here and there. But the information which is with me goes to show that the acquisition proceedings which are contemplated to be taken round about Delhi are absolutely in the interests of the development of Delhi itself. May I point out to you that the Master Plan for Delhi lays down the urbanisable limits of Delhi up to the year 1981? It envisages urbanisation of a total area of 1,10,487 acres. The present urbanised area is 42,700 acres. The estimated population of the urbanised area in 1981 is 46 lakhs. The major break-up of this area is as follows. I am mentioning this in terms of land use. I am specifically mentioning these figures because there is considerable misunderstanding on this as if lands are acquired only for some private companies or some private industrialists. There might be instances of acquisition of lands for such purposes also. But I may just quote the percentages of the lands acquired for various purposes so that the House may be in a better position to appreciate the exact position. Out of the total area that is to be acquired, housing area or residential area would be 42.9 per cent; major commercial (including warehousing) and mineral sidings will constitute 23 per cent. Industrial area (including mining) would come to 5.4 per cent, area for Government would come to 7.4 per cent, area for recreation would be 23.7 per cent, public and semipublic facilities would be 8 per cent, agricultural facilities would account for 0.3 per cent, and transport facilities excluding railway facilities would be 2.4 per cent. Roads 5.3 per cent; railway land (including stations, yards and tracks) 2.3 per cent.

These are figures which go to show that as far as industrial con-

cerns are concerned, a very insignificant portion of land is acquired for them, 15 per cent of the plots in Delhi's Master Plan are ear-marked for allotment to low income groups, of which 15 per cent is exclusively for Harijans, at fixed rates. These are some of the facts which I have tried to put before the House. Taking into consideration the submissions I have made, I hope hon. Members will support the Bill and see that it is passed.

I will again reiterate the assurance I have given to the House that we wish to go into the entire scheme

of the Act. A committee of M.P.S. will be constituted and as soon as their recommendations are available, we will see that the entire framework of the Act is modified and necessary provisions made so that hardship is avoided and complaints against the Act removed.

Mr. Chairman: The question is:

That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1954, and to validate certain acquisition of land under the said Act, be taken into consideration".

Lok Sabha divided:

Division No. 4)

AYES

[16.16 hrs.]

Ahirwar, Shri Nathu Ram	Ghosh, Shri Bimalkanti	mati
Aga, Shri Ahmad	Girja Kumari, Shrimati	Molahu, Shri
Ahmad, Dr. I.	Gupta, Shri Ram Kishan	Mondal, Dr. P.
Ahmed, Shri F. A.	Hajarnawis, Shri	Mrityunjay Prasad, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan	Hazarika, Shri J. N.	Mudrika Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar	Hem Raj, Shri	Mukerjee, Shrimati
Barua, Shri Bedabrata	Himatsingka, Shri	Sharda
Barua, Shri R.	Hirji, Shri	Murti, Shri M. S.
Barupal, Shri P. L.	Iqbal Singh, Shri	Nageshwar, Shri
Baswant, Shri	Jadhav, Shri Tulshidas	Naghnoor, Shri M. N.
Bhagavati, Shri	Jadhav, Shri V. N.	Naidu, Shri Chengalraya
Bhakt Darshan, Shri	Jaggaiiah, Shri K.	Nayar, Dr. Sushila
Bhandare, Shri R. D.	Jena, Shri D. D.	Oraon, Shri Kartik
Bhanu Prakash Singh, Shri	Kahandole, Shri Z. M.	Pahadia, Shri
Bhargava, Shri B. N.	Kamble, Shri	Pandey, Shri Vishwa Nath
Bhattacharyya, Shri C. K.	Kamla Kumar, Shrimati	Pandit, Shrimati Vijaya Lakshmi
Bhuta Singh, Shri	Katham, Shri B. N.	Panigrahi, Shri Chintamani
Chanda, Shri Anil K.	Kavade, Shri B. R.	Pant, Shri K. C.
Chanda, Shrimati Jyotsna	Kedaria, Shri C. M.	Parmer, Shri Bhaljibhai
Chandika Prahad, Shri	Keshri, Shri Sitaram	Partap Singh, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar	Kinder Lal, Shri	Patel, Shri Manibhai J. Patel, Shri Manubhai Patel, Shri N. N. Patil, Shri A. V. Patil, Shri C. A. Patil, Shri Deorao Patil, Shri S. D. Pramanik, Shri J. N. Prasad, Shri Y. A. Radhabai, Shrimati B. K. Raj Deo Singh, Shri Rajani Gandha, Kumari Raju, Shri D. B. Ram Dhani Das, Shri Ram Kishan, Shri Ram Subhag Singh, Dr. Ram Dhan, Shri Ram Swarup, Shri Ramesh Chandra, Shri Rampur Mahadevappa, Shri Rana, Shri M. B. Randhir Singh, Shri
Chavan, Shri Y. B.	Khanna, Shri P. K.	
Choudhury, Shri Valmiki	Kotoki, Shri Liladhar	
Dalbir Singh, Shri	Kripalani, Shrimati	
Damani, Shri S. R.	Sūcheta	
Das, Shri C.	Kureel, Shri B. N.	
Deoghare, Shri N. R.	Lalit Sen, Shri	
Desai, Shri Morarji	Laskar, Shri N. R.	
Deshmukh, Shri B. D.	Laxmi Bai, Shrimati	
Deshmukh, Shri K. G.	Lutfaj Haque, Shri	
Deshmukh, Shri ShivaJirao S	Maharaj Singh, Shri	
Dhillon, Shri G. S.	Mahida, Shri Narendra Singh	
Dhirendranath, Shri	Mahishi, Dr. Sarojini	
Dixit, Shri G. C.	Malhotra, Shri Inderjit	
Ering, Shri D.	Mandal, Shri Yamuna Prasad	
Gandhi, Shrimati Indira	Mane, Shri Shankarrao	
Ganga Devi, Shrimati	Marandi, Shri	
Ganpat Sahai, Shri	Masuria Din, Shri	
Gautam, Shri C. D.	Minimata, Shrimati	
Gavit, Shri Tukaram	Acam Das Guru	
	Mishra, Shri Bibhuti	
	Mishra, Shri G. S.	
	Mohasin, Shri	
	Mohinder Kaur, Shri-	

Rane, Shri	Sethi, Shri P. C.	Sinha, Shrimati Tar-
Rao, Shri Jagannath	Shah, Shrimati Jayaben	keahwari
Rao, Shri K. Narayana	Shah, Shri Manabendra	Solanki, Shri S. M.
Rao, Shri Rameshwar	Shah, Shri Shantilal	Sonar, Shri A. G.
Reddi, Shri G. S.	Shambhu Nath, Shri	Sonavane, Shri
Reddy, Shri Ganga	Shankaranand, Shri	Sudarsanam, Shri M.
Reddy, Shri P. Antony	Sharma, Shri D. C.	Supakar, Shri Sradhakr
Rohatgi, Shrimati	Shashi Ranjan, Shri	Surendra Pal Singh, Shri
Sushila	Shastri Shri B. N.	Suryanarayana, Shri K.
Roy, Shri Bishwanath	Shastri, Shri Ramanand	Tarodekar, Shri V. B.
Roy, Shrimati Uma	Sheo Narain, Shri	Tiwary, Shri D. N.
Sadhu Ram, Shri	Sheth, Shri T. M.	Tiwary, Shri K. N.
Saha, Shri S. K.	Shinde, Shri Annasahib	Tula Ram, Shri
Salve, Shri N. K. P.	Shinkre, Shri	Tulsidas, Shri
Sanji Rupji, Shri	Shiv Chandrika Prasad.	Veerappa, Shri Rama-
Sarma, Shri A. T.	Shri	chandra
Savitri Shyam, Shrimati	Shukla, Shri S. N.	Verma, Shri P. C.
Sayyad Ali, Shri	Siddayya, Shri	Yadab, Shri N. P.
Sen, Shri Dwaipayan	Singh, Shri D. N.	Yadav, Shri Chandra
Sen, Shri P. G.	Singh, Shri D. V.	Jeet, Shri

NOES

Adichan, Shri P. C.	Jha, Shri S. C.	Ramani, Shri K.
Ahmed, Shri J.	Joshi, Shri Jagannath	Ramji Ram, Shri
Amin, Prof. R. K.	Rao	Ranjeet Singh, Shri
Amin, Shri Ram-	Joshi, Shri S. M.	Ray, Shri Rabi
chandra J.	Kameshwar Singh, Shri	Saboo, Shri Shrigopal
Banerjee, Shri S. M.	Kedar Paswan, Shri	Samanta, Shri S. C.
Basu, Shri Jyotirmoy	Khan, Shri Ghayoor Ali	Santosham, Shri
Berwa, Shri Onkar Lal	Khan, Shri Latafat Ali	Satya Narain Singh.
Bhadoria, Shri Arjun	Khan, Shri Zulfiquar Ali	Shri
Singh	Krishnamoorthi, Shri V	Sen, Shri Deven
Bohra, Shri Onkarlal	Kundu, Shri S.	Sen, Dr. Ramesh
Brij Bhushan Lal, Shri	Kunte, Shri Dattatraya	Sharda Nand, Shri
Chakrapani, Shri C. K.	Kushwah, Shri Y. S.	Sharma, Shri Yogendra
Chandra Shekhar	Madhok, Shri Bal Rai	Shastri, Shri Prakash Vii
Singh, Shri	Madhukar, Shri K. M	Shastri, Shri Shiv
Chatterjee, Shri H. P.	Majhi, Shri M.	Kumar
Dange, Shri S. A.	Mangalathumadom, Shri	Shastri, Shri Sheopuga
Dar, Shri Abdul Ghani	Mody, Shri Pilon	Shivappa, Shri N.
Deo, Shri K. P. Singh	Mohamed Imam, Shri	Singh, Shri J. B.
Devgun, Shri Hardayal	Mohamed Sheriff, Shri	Sivasankaran, Shri
Dipa, Shri A.	Naik, Shri R. V	Sondhi, Shri M. L.
Esthose, Shri P. P	Nair, Shri Vasudevan.	Sreedharan, Shri A.
Girraj Saran Singh, Shri	Nayar, Shri K. K	Suraj Bhan, Shri
Gopalan, Shrimati Su-	Nayar, Shrimati Shakun-	Tapuriah, Shri S. K.
seela	tala	Umanath, Shri
Gowd, Shri Gadilingana	Parmar, Shri D. B	Vansh Narain, Shri
Gowda, Shri M. H.	Patel, Shri J. H.	Vidvarti, Shri R. S.
Gowder, Shri Nanja	Patil, Shri N. R.	Viswambaran, Shri P.
Gupta, Shri Kanwarlal	Patodia, Shri D. N	Viswanathan, Shri G.
Haldar, Shri K.	Puri, Dr. Surya Prakash	Viswanatham, Shri Ten-
Jageshwar, Shri	Ram Singh, Shri	nedi
Jamna Lal, Shri	Ram Charan, Shri	
Janardhanan, Shri C	Ramamoorthy, Shri P	

Mr. Chairman: The result of the Division is: Ayes: 177; Nos: 88.

The motion was adopted.

Mr. Chairman: We now take clause by clause consideration of the Bill. There are some amendments to Clause 2. Are they moved?

Clause 2—(Amendment of section 5A).

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi)
Sir, I move amendment No 1.

Page 1,—

(i) line 10,—

omit "either"; and

(ii) lines 11 and 12,—

omit "or make different reports in respect of different parcels of such land", (1)

Shri Kanwarial Gupta: I move my amendment No. 5

Page 1, line 12,—

for "different" substitute "two" (5)

Shri Chintamani Panigrahi: I move my amendment No. 14.

Page 2, line 3,—

after "Government" insert—
"within a period not exceeding thirty days". (14)

Mr. Chairman: Is Mr. Srinibas Misra moving his amendment No. 15? No. He is not here; so it is not moved. So, amendments Nos. 1, 5 and 14 are before the House.

Shri Annasahib Shinde: At this stage, I would like to submit that there is a printing error in this clause and we have communicated it to the Lok Sabha Secretariat. One 's' is missing in the word 'objection'.

Mr. Chairman: It will be corrected. Shri Madhok.

Shri Bal Raj Madhok: Sir, I have already spoken on the Bill. According to section 4 of the original Act, Government can issue a notification and

objections can be raised under clause 5. Under section 6 the collector or the officer appointed on his behalf can make a declaration and then the land is acquired. It is provided that he can make a number of reports in two or three years' time; he need not acquire all the land at once. Notification can be made at once but land can be acquired in parcels but the compensation which is to be paid will be on the basis of the notification. My amendment sets right a defect in this clause and it is to the effect that he must make only one declaration and not separate declarations over so many years. I think this is essential to safeguard the interests of the land-owners whose lands are acquired like that.

श्री कंचर लाल गुप्त : मेरी जो एमेंडमेंट है वह मोटे तौर से श्री मधोक साहब की जो एमेंडमेंट है उसी की तरह की है। सैक्शन 5 के अन्दर तीन साल या दो साल के अन्दर जितनी बार वह चाहें पारसल में रेकलेक्शन कर सकते हैं और जितनी बार भी हो जमीन को ले सकते हैं। मेरी एमेंडमेंट यह है कि सारा जो सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के बीच में समय मिल जाता है उसमें बहुत बार लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये केवल दो बार का मैंने कहा है। डिफेंट की जगह मैंने दो शब्द सबस्टीट्यूट किया है। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

Shri Chintamani Panigrahi: Sir, my sole objective in moving this amendment is that, because of the delay in the proceedings, naturally, the staff employed in the Land Acquisition Department gets time to manipulate the records, and therefore, unnecessarily, the peasant whose land is being acquired is made to suffer.

I may here bring to the notice of the hon. Minister what the Assam Estimates Committee has recently commented on the various land acquisition proceedings there; they have said that different bases of evaluation were undertaken at differ-

[Shri Chintamani Panigrahi]

ent times for different cases within the same identical village. In one village, while the same land is being charged at Rs. 1,000 per acre, another land is charged at Rs. 200 per acre. It is because of this that the staff is getting time for all these manipulations

Therefore, my submission is that beginning from the land acquisition proceedings to the stage of payment of compensation, only six months should be there and not more than that. That is the sole object in my moving this amendment.

श्री अब्दुल गनी बर (गुडगाव) : मैं अपनी एमेंडमेंट नम्बर 29 के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ :

यही कालिल, यही शाहिव, यही मुनसिफ ठहरे अकरबा मेरे करे खून का दावा किम पर । मैं समझता हूँ कि बिनाश काले, विपरीत बुद्धि के मुताबिक काम हो रहा है । एक तरफ तो फूड फूड की बात ये कहते हैं और दूसरी तरफ जहाँ अच्छी पैदावार होती है उम जमीन को ये एक्वायर करने जा रहे हैं । अभी श्री गजराज सिंह ने बताया है कि किस तरह गांव द्रोणाचार्य के ईर्द गिर्द का इलाका जहा चालीम द्यूबवैल सगे हुये हैं एक्वायर कर लिया गया है । बहुत मरसबज जमीन वह है । तीन बार वह फमल देती है । उनकी इन्होने एक्वायर कर लिया है । किस लिये किया है ? इण्डस्ट्री के लिये और डिफेंस के नाम पर किया है । उसका सही सही इस्तेमाल भी नहीं हुआ है । अगर आपको इन कामों के लिये जमीन लेनी ही थी तो आप रट्टी जमीन ले सकते थे, कल्चर वाली ले सकते थे । जिसकी जमीन आप लेते हैं उसको आप एक तो पूरा मुआवजा नहीं देते हैं और दूसरे कितने ही साल गुजर जाते हैं और उनको रकम की भदायगी नहीं होती है । अब आप कहते हैं कि आप सूद दे देंगे । मैंने जो संशोधन रखे हैं उनको इस ख्याल से रखा है कि अगर ये आपके विभाग

में आ जाये तो किसान बरबाद होने से बच जाये । फूड फूड की बात तो बहुत होती है लेकिन किसान के साथ किस तरह से धोखा किया जाता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । अगर यह बात इनके ध्यान में आ जायें तो मेरी एमेंडमेंट को ये कबूल कर लेंगे । लेकिन इस वक्त जो हालत है उस में तो यही कहा जा सकता है :

किस किस तरह सतते हैं ये बुत हमें निजाम हम ऐसे है कि जैसे किसी का खुदा न हो ।

شری عبدالغنی دار (گوکوں) - میں اپنی امینڈمنٹ نمبر 29 کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں
 یہی قائل یہی شاہد یہی ملصق تھیرے
 اگر با میہرے کریں خون کا دعوا کس پر -
 میں سمجھتا ہوں وناہی کالے وپریت
 ہدمی کے مطابق کام ہو رہا ہے - ایک
 طرف تو فوٹہ فوٹہ کی بات یہ کہتے ہیں
 اور دوسری طرف جہاں اچھی پیداوار
 ہوئی ہے اس زمین کو یہ ایکوایر کرتے
 جا رہے ہیں - اسی شری گج راج سلگہ
 نے بتایا ہے کہ کس طرح گاؤں درونا چارہ
 کے ارد گرد کا علاقہ جہاں چالمس ٹورپ
 وہل لگے ہوئے ہیں ایکوایر کر لیا گیا ہے -
 بہت سروسز زمین وہ ہے - تنہا بار
 وہ فصل دیتی ہے - اسکو انہوں نے ایکوایر
 کر لیا ہے - کس لئے کیا ہے - انڈسٹری
 کے لئے اور قفلس کے نام پر کیا ہے -
 اسکا صحیح صحیح استعمال بھی نہیں
 ہوا ہے - اگر آپکو ان کاموں کے لئے
 زمین لینی ہی تھی تو آپ وہی زمین
 لے سکتے تھے - کلر والی زمین لے سکتے

تھ جس کی زمیں آپ لیتے ہیں اس کو آپ ایک تو پورا معاوضہ نہیں دیتے ہیں اور دوسرے کٹلے ہی سال گذر جاتے ہیں اور ان کو رقم کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ سود دیے گئے۔ میں نے جو سلسلہ بیان کیا ہے میں ان کو اس خیال سے دکھا ہے کہ اگر یہ آپ کے دماغ میں آ جائے تو کسان برباد ہونے سے بچ جائے۔ فوراً فوراً کی بات تو بہت ہوتی ہے لیکن کسان کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ان کے دھیان میں آ جائے تو سبھی اسٹیٹسٹ کو یہ قبول کر لیں گے۔ لیکن اس وقت جو حالت ہے اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے۔

کس اس طرح بتاتے ہیں یہ بت
میں نظام

ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا
خدا نہ ہو۔

Shri Dattatraya Kunte (Ko'abu):
The clause before the House says that a period of three years ought to be allowed to lapse before action is taken. What is the basis on which the period of three years has been laid down? Unfortunately, on no occasion has the Minister in charge explained to us why the period of three years is required. Why the officers who have got all pieces of information at their command are not in a position either to make a report or declaration or enable the Government to make a declaration within a shorter period? The Minister only said yesterday that as against

no time limit being prescribed in the Act, he has been pleased enough to give a period of three years, which is as a matter of grace. I do not want any grace to be shown; I want an honest justification for the period of three years being fixed, and as long as it is not given before the House, it is very difficult to discuss this amendment.

Shri Srinibas Misra (Cuttack): Sir, I beg to move:

Page 1, line 12,—after "reports" insert "not exceeding two". (13).

Mr. Chairman, Sir, Clause 2 seeks to overcome the mischief or adverse effect of the Supreme Court's judgment, according to the statement of objects and reasons. But we find that it goes beyond the object stated in the Statement of Objects and Reasons. The object is only to rectify certain defects created in the proceedings which have been already started. It says:

"Consequently, to overcome adverse effect of the Supreme Court judgment..".

i.e. the adverse effect on the proceedings that have been completed and are pending. The Minister while piloting the Bill or in the Statement of Objects and Reasons has not given any reason whatsoever why he should extend the number of notices which the Supreme Court has held to be invalid. He says that clause 2 covers any number of reports under section 5A and declarations under section 6. It goes beyond undoing the mischief caused by the Supreme Court Judgment and beyond the Statement of Objects and Reasons. We can understand in respect of lands which have been acquired and on which structures have been built, it is difficult to dismantle them. But it is very easy to comply with the judgment and honour it in its letter and spirit in subsequent acquisitions. Why is it that provision has been made that a large number of reports and a large number of declarations will be made? That can be cut short. That is why my amendment wants to provide that it should be

[Shri Srinibas Misra]

cut down to one year. At their own sweet will, they cannot say that they will be lethargic and negligent. This is a licence given to negligence.

Shri Annasahib Shinde: Most of the members, while speaking on clause 2 are making observations which do not pertain to clause 2.

Mr. Chairman: Please confine your remarks to clause 2.

Shri Srinibas Misra: Clause 2 itself provides for everything. Clauses 2 and 3 both contain the same provision of three years. They are inter-related. We cannot take clause 2 without clause 3.

Shri Annasahib Shinde: Clause 2 deals with amendment of section 3A while clause 3 seeks to amend section 6.

Shri Srinibas Misra: The two sections are so inter-related that the minister cannot divorce clause 2 or clause 3 or vice versa. Without a report under section 5A, there can be no declaration under section 6. There will be as many reports as there will be declarations. So, the amendment, if at all, will affect both clauses 2 and 3. As it is, section 5A reads thus:

"Submit the case for the decision of the appropriate Government, together with the record of the proceedings held by him and a report containing his recommendations on the objections."

The words "a report" have been interpreted by the Lordships of the Supreme Court as one report and not more than one. Clause 2 seeks to substitute this portion by the following:

"either make a report in respect of the land which has been notified under section 4, sub-section (1), or make different reports in respect of different parcels of such land."

My amendment says, limit it to two at the maximum. If the Government is sincere and if the executive is not to be given this licence for negligence and lapses, the number of reports should not exceed two. That is what my amendment seeks to do.

Shri Annasahib Shinde: Mr. Chairman, Sir, I think most of the criticism that has been made now in respect of clause 2 is irrelevant. As I have already submitted, Government came forward with this amendment as a result of the Supreme Court judgment in the case Government of Madhya Pradesh vs Vishnu Prasad Sharma. In the judgment itself Justice Sirkar while, of course, referring to section 6 indicated that it must follow that without a special provision more than one declaration under section 6 was not contemplated. So by implication, if there was a provision in the law for more than one report or one declaration it would be perfectly legal. Therefore, in order to overcome the difficulty that there was no specific provision in the present law of making more than one report, we have come forward with this legislation with a specific provision in clause 2.

Mr. Chairman: Shall I put all the amendments together?

Shri Kanwarial Gupta: The Minister may like to accept some amendments.

Mr. Chairman: He is not accepting any.

Shri Annasahib Shinde: I have conceded on the major issue of amending the entire law.

Mr. Chairman: I shall put the amendments together.

Amendments Nos. 1, 5, 13 and 14 were put and negatived.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 2— (Amendment of Section 6)

Shri V. Krishnaswathi: Sir, I beg to move:

Page 2, line 21,—

for "three years" substitute "one year" (2).

Shri Kanwarial Gupta: Sir, I beg to move:

Page 2,—

omit lines 6 to 13 (6).

Page 2,—

omit lines 23 and 24 (8).

Shri Srinibas Misra: Sir, I beg to move:

Page 2, line 6,—

after "and" insert ", not exceeding two," (15).

Page 2, line 11,—

for "different" substitute "two" (16).

Shri Chintamani Panigrahi: Sir, I beg to move:

Page 2,—

after line 24, insert—

'(c) in sub-section (3), after the words "hereinafter appearing", the following shall be inserted, namely:—

"after payment being made within a period not exceeding sixty days" (18).

Shri Annasahib Ghinde: Sir, I beg to move:

Page 2, line 12,—

after "have been made" insert—
" (wherever required) " (24).

Shri Abdul Gani Dar: Sir, I beg to move:

Page 2, line 21,—

for "three years" substitute—
"six months" (30).

Mr. Chairman: The clause and these amendments are now open for discussion.

Shri V. Krishnaswathi: Mr. Chairman, Sir, I have given an amendment saying that the period of time taken for notification under 4 and 6 should be reduced to one year instead of three years. After the commencement of this Ordinance, Mr. Chairman, notifications have been published and the Government wants to give three years. As you are aware, the price of land rises every day. When the Government acquires some property or a citizen it should not distinguish between a citizen who is owning a land and a citizen owning a house or some shares in a company. So, in such cases, today the price of one acre of land may be Rs. 1,000 but within six months, as I have stated earlier, it will become Rs. 3,000 or Rs. 5,000. Why should the owner of that land be deprived of the benefit of the real market value by extending the period to three years that is my question. The hon. Minister may come forward and say that they require some time for preparation of plan of the site, measuring the land and so on. But that can be reduced to the minimum possible. My amendment seeks to reduce the period between section 4 and section 6 to one year. Within that one year Government will have enough time to take all the adequate steps. If the period exceeds one year then 6 per cent interest should be calculated from the date of expiry of one year and paid to the owner of the land. Three years is too long a period. We should not place the owner of land in an embarrassing position for a long period of three years. One year is more than enough. So, I am pleading for the acceptance of my amendment.

Shri Chintamani Panigrahi: I will not take much time of the House. I would only suggest that the land should be acquired only after the compensation has been paid. Now land is acquired without immediate payment of compensation and the farmers have begun to believe that this is an instrument of harassment

[Shri Chintamani Panigrahi]

for them. Though the acquisition is meant to carry out development programmes, because they are unnecessarily being harassed by the administrative staff, that impression is being acquired after the payment of compensation.

श्री कंचर लाल गुप्त सभापति महोदय, यह जो प्रमेडमेंट रखी गई है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि तीन साल के अन्दर तो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर दिल्ली को ही देखें तो आपकी मालूम होगा कि यहां पर तीन साल में जमीन की कीमतें 300 परसेंट और 400 परसेंट बढ़ जाती हैं। इसलिये यह बड़ी ज्यादाती की बात होगी कि आप जिसकी जमीन लेना चाहते हैं उसको कम दाम दें और आगे जाकर उसी जमीन का ज्यादा दाम लोगों से लें। सरकार को अपनी तरफ से एक प्रादमं रखना चाहिये, वह जिस भाव पर खरीदे, उसी भाव पर उस को देना चाहिये, उस के अन्दर मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिये। दिल्ली में मकानों के किंराये 500 परसेंट ज्यादा बढ़ गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रमेडमेंट को स्वीकार करें।

श्री अब्दुल गनी वार : सभापति महोदय, मैंने अपनी प्रमेडमेंट में 6 महीने के लिये कहा है। वह इसलिये कहा है जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले मोहतरिम बोस्त ने कहा कि जमीन की कीमतें हर रोज बढ़ती हैं। या तो सरकार कीमतों का फर्मला उम वक्त करे, जिस वक्त रुपया दे, लेकिन इसके साथ यह भी समझना चाहिये कि व बेचारा जायगा कहाँ। जिसकी जमीन ये लेते हैं, वह क्या करेगा, उसकी प्रौलाद क्या करेगी। इन में अगर यह बान होती कि जैसे ब्यास डैम है, नाखड़ा डैम है और दूसरे बड़े बड़े डैम हैं, जिस से किसानों को जिन्दगी मिलती हो, तो किसान इसको बरदास्त कर सकते थे, इस

लिये कि अगर उनके साथ ज्यादाती हुई है तो उनको बदला मिल जायगा, या उसके बदले में सरकार वह जमीन जो कि नई रिक्लेम करती है, उन किसानों को दे दे और उनकी कीमतों का फर्मला पीछे करे, तब तो समझ में यह बान आ सकती थी। लेकिन मुसीबत यह है कि डिफेंस के नाम पर इन्वेलपमेंट के नाम पर कितनी ही चीजें की गई हैं, लाखों रुपये का नायलोन टाऊ एण्ड टाप्स मंगवाया गया और एक पैसे का खर्च नहीं किया गया, करोड़ों रुपये का ऊन मंगवाया गया और वह स्टॉक में पड़ा मड रखा है। मोनोपोलियां दी जाती हैं। इसी तरह से जो इन के पेट होते हैं, अजीब होते हैं, उनको इण्डस्ट्रीज के नाम पर एक एकड़ चाहिये तो उनको सैकड़ों एकड़ जमीन दी जाती है, जिससे बेचारा किसान बरबाद हो जाता है। अगर इस को 6 महीने कर दें तो इससे यह फायदा होगा कि किसान को वक्त पर पैसा मिल सकेगा और वह यह महसूस करेगा कि बाफई मेरी जमीन को लिया गया है, इसकी मेरी कन्ट्री को जरूरत थी और मेरे दूसरे किसान भाइयों को जरूरत थी, इसलिये इन्होंने हम जमीन को लिया है। लेकिन अगर यह बात नहीं है और सिर्फ मोनो-पोली सिस्टम करते चले जायेंगे, जैसे डिफेंस के नाम पर किया हुआ है, चन्द प्रादमियों को ठेके व रखे हैं कि वही माल दें, चन्द इण्डस्ट्रीय-लिमिटेड के जगह जगह जमीनों एकवारर की जाती है—मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि किस किस तरह से इन्होंने अपने अजीबों को जमीनें दिलाई हुई हैं और वे बेकार पड़ी हुई हैं। इस लिये मेरी ब्याहिस है कि थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें। मैं खास तौर से जगजीवन राम जी से कहना चाहता हूँ, जिनका कि कल जन्म दिवस था, वह जरा सोचें कि आज वह किसान के साथ गांधी बाबा के साथी होते हुये अन्याय करने जा रहे हैं। सुश्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को—यह ठीक है कि इन को हक हासिल है, हाउस को हक हासिल है—

इनको नहीं, बूँकि ये मैजिस्ट्रेटी में हैं, इस लिये इन को हक हासिल है उस फॉसले को पामाल करें और उसको ठुकरायें। लेकिन मैं इतना जरूर धर्य कर देना चाहता हूँ कि अगर आप किसान को ठुकराते हैं तो जैसा मेरे पहले भाई ने कहा—इन को ब्याल भाना चाहिये कि किसान आज इनका है, वह गरीब आज इन की तरफ देखता है—ये उस के नमाइन्दे बन कर यहां भाये हैं, मैं आपको यह भी बता दू कि एक भी कांग्रेसी मेम्बर ने इस बिल के हक में आवाज उठाने की जरूरत नहीं की, लेकिन बूँकि डिबीजन के वक्त हां कह देने से यह पता नहीं चलता कि किसने हां की है और किसने न की है, आहिस्ता से हा कह दिया, लेकिन जितने भी बोले इस बिल के खिलाफ बोले। इसलिये जमीन का मसला किसी वक्त किसान को आमादा न कर दे, आज किसान बड़ा ही शांत है, धमन का देवता है, वह किसी भी तरह नहीं चाहता कि मुल्क में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन आप बतायें कि किसान को जिस तरह से बरबाद किया गया है, जिस तरह से आज ये उसको बरबाद करना चाहते हैं, वह कब तक शांतिपूर्वक रहेगा, बल्कि एक इन्कलाब आयेगा और वह इन्कलाब एक ऐसा इन्कलाब होगा, जिसकी सूचना मैं कई बार दे चुका हूँ—ये और मैं कुत्तों की तरह सबक पर पड़े होंगे और कोई पूछने वाला न होगा। वह दिन आने से पहले किसान को न्याय दो। बजाय इसके कि एक्ट बना कर उसको बरबाद करो, क्या ही अच्छा होता कि इसको मूल्तवी कर देते, सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देते, इसमें किसान की आवाज को सुनते और एक अच्छा बिल लाते, जिससे हम भी खुश होते और किसान भी खुश होता। लेकिन आज मैजिस्ट्रेटी के बल पर जो भी मन में आता है करते चले जा रहे हों, इस लिये मैं चेतावनी देता हूँ कि आज किसान को बरबाद करना सारे देश को बरबाद करना है। किसान पर इन की और हमारी जिनवनी मुनहसिर है, उसको तंग न करो,

इस तरह से उसको बरबाद न करो। अगर बरबाद करते हो तो किसानों के फायदे के लिये करो। यह न हो कि हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, दफा 4 और 6 का मोटिस हो गया है, लेकिन एक तिनका भर भी इवलेप नहीं हुई है।

इसलिये मेरी दरखास्त है कि मेरी 6 महीने की एग्जैमेट को मन्जूर किया जाय ताकि इन को ज्यादा मौका न मिले कि किसान की जमीन का नाजायज फायदा उठा सकें।

شہری عبدالغنی دار : سہیلی سہودے -
 صہن نے اپنی املذمت مہن ۶
 سہلے کے لئے کہا ہے - وہ اس لئے
 کہا ہے جو سا کہ سورے پہلے بولنے والے
 معصوم دوست نے کہا کہ زمہن کی
 قیمتیں ہر روز بڑھتی ہیں یا نو
 سوکار قیمتوں کا فیصلہ اس وقت کرے
 جس وقت روپہہ دے - لوکن اس
 کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ
 بھچارا جائتا کہاں - جسکی زمہن
 یہ لہتے ہیں وہ کہا کریگا - اسکی
 اولاد کہا کریگی - اس میں اگر یہ
 بات ہوئی کہ جسے ہوس قیمت ہے
 بھاکرا قیمت ہے اور دوسرے بڑے بڑے قیمت
 ہیں جن سے کسلاوں کو زندگی ملتی
 ہے تو کسان اس کو برداشت کر سکتے
 تے - اس لئے کہ اگر انکے ساتھ زیادتی
 ہوئی ہے تو انکو بدلہ مل جائے گا یا
 اسکے بدلے میں سوکار وہ زمہن جو کہ
 نئی دی کلم کوئی ہے ان کسلاوں کو
 دیندے اور ان کی قیمتوں کا فیصلہ
 ہدیتہ کرے تب تو سمجھ میں یہ

[شری عبدالغنی دلور]

ہوتی ہیں۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا ایچ ڈی ایم پر زور ڈالیں۔ میں خاص طور سے چنگچھوڑوں رام جی سے کہنا چاہتا ہوں جن کا کہ کل چلم دوس تھا۔ وہ ڈرا سو جہاں کہ آج وہ کسان کے ساتھ گاندھی بابا کے ساتھی ہوتے ہوئے اٹھائے کرتے جا رہے ہیں۔ سہریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلہ کو۔ یہ تھوک ہے کہ ان کو حق حاصل ہے۔ ہاؤس کو حق حاصل ہے ان کو نہیں۔ چونکہ وہ سہریم جی میں ہیں اس لئے انکو حق حاصل ہے کہ اس فیصلے کو پامال کریں اور اسکو ٹھکرائیں۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسان کو تھکراتے ہوں تو حدسہا سہرے پہلے بھائی نے کہا۔ ان کو خیال آنا چاہئے کہ کسان آج ان کا ہے۔ وہ غریب آج ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اس کے نمائندہ بن کر یہاں آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بھی کانگریسی سہر نے اس بل کے حق میں آواز اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ لیکن چونکہ ڈیڑھ کے وقت ہاں کہہ دینے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے ہاں کی ہے اور کس نے نا کی ہے۔ آہستہ سے ہاں کہہ دینا۔ لیکن جتنے بھی بولے ہیں اس بل کے خلاف بولے ہیں۔ اس لئے زمین کا مسئلہ کسی وقت کسان کو آمادہ نہ کر دے۔ آج کسان

بات آ سکتی تھی لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈیفنس کے نام پر ڈیولپ منٹ کے نام پر کتنی ہی چیزیں کی گئی ہیں۔ کاکھوں روپے کا نائلوں تار ایڈڈ تاپس ملگواہا گیا اور ایک پیسے کا خرچ نہیں کیا گیا۔ کروڑوں روپے کا آرن ملگواہا گیا اور وہ سٹاک میں پڑا سو رہا ہے۔ سونپولیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو انکے پیسے ہوتے ہیں۔ میڈیز ہوتے ہیں انکو انڈسٹریز کے نام پر ایک ایک چاہئے تو ان کو سہلکاریوں ایکو زمینیں دی جاتی ہیں جس سے بھڑکار کسان برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اسکو ۶ مہینے ڈر دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کسان کو وقت پر پیسے مل سکے گا۔ اور وہ یہ محتسوس کریگا کہ واقعی میری زمین کو لیا گیا ہے۔ اس کی میری کفالتی کو ضرورت تھی اور سہرے دوسرے کسان بھائیوں کو ضرورت تھی اس لئے انہوں نے اس زمین کو لیا ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے اور صرف سونپولی سسٹم کرتے چلے جائیں گے جیسے ڈیفنس کے نام پر کیا ہوا ہے چند آدمیوں کو تھکے دے رکھے ہیں کہ وہی مال دیں۔ چند کے لئے جگہ جگہ زمینیں ایکواٹر کی جاتی ہیں۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ایسے میڈیزوں کو زمینیں دلائی ہوئی ہیں اور وہ بھوکو پڑی

ہوا ہی شامت ہے - اسن کا دیوتا ہے
 وہ کسی بھی طرح نہیں چاہتا کہ
 ملک میں کوئی گڑبگڑ ہو لیکن آپ
 بتائیں کہ کسان کو جس طرح سے
 برہاد کہا گیا ہے جس طرح سے آج
 یہ اس کو برہاد کرنا چاہتے ہیں وہ
 کب تک شانتی پوزوک دے گا - بلکہ
 ایک انقلاب اٹھکا اور وہ انقلاب ایک
 انقلاب ہوا جسکی سوچنا میں کئی
 بار دے چکا ہوں یہ اور میں کتوں
 کی طرح سوک پڑ پڑے ہونگے اور کوئی
 پوچھے والا نہ ہوگا - وہ دن آنے سے
 پہلے کسان کو نہائے دو - بجائے اسی کے
 کہ ایکٹ بنا کر اس کو برہاد کر دیا
 ہی اچھا ہوتا کہ اس کو مدتوں کر
 دیتے - سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کر دیتے
 اس میں کسان کی آواز کو سلیکے اور
 ایک اچھا بل لائے جس سے ہم بھی
 خوش ہوتے اور کسان بھی خوش ہوتا
 لیکن آج مہاجرتی کے بل پڑ جو بھی
 سن میں آتا ہے کرتے چلے جا رہے ہو -
 اس لئے میں چھتاوٹی دیتا ہوں کہ
 آج کسان کو برہاد کرنا سارے دیہی کو
 برہاد کوٹا ہے۔ کسان پر ان کی اور
 ہماری زندگی منحصر ہے - اس کو
 تلگ نہ کرو - اس طرح سے اس کو
 برہاد نہ کرو - اگر برہاد کوٹے ہو تو

کسانوں کے فائدہ کہلئے کرو - یہ نہ ہو
 کہ ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہے دفعہ ۴
 اور ۶ کا نوٹس ہو گیا ہے لیکن ایک
 تلگ پور بھی ڈوبلیپ نہیں ہوئی ہے -
 اس لئے مہری درخواست ہے کہ مہری
 ۶ مہینے کی اسٹیمٹ کو منظور کیا
 جائے تاکہ ان کو زیادہ موقتہ نہ ملے کہ
 کسان کی زمین کا ناجائز فائدہ اٹھا
 سکیں -]

Shri Srinibas Misra: Sir, again the same question crops up in this clause. Three years' time has been given for doing all sorts of mischief that the administration can do. What are they doing now? In violation of all the legal provisions as large tract of land is acquired and then they sleep over it for years and years. It has been discovered now and has come before the House that this is doing injustice to the peasants, rich and poor alike.

What this legislation seeks to do is this. It wants to give them licence to sleep over the matter, which was declared illegal, for three years. Instead of correcting the administration's weakness and lethargy, this legislation has been hastily introduced to give them licence for this laziness, lethargy and their arbitrary actions, to go on without plans and then to come up with reports and notifications subsequently. This is why my amendment seeks to restrict it to one year only, not three years but one year. Why can they not perfect it? Why can the executive officers not be compelled to work it out within one year? Why should they be given time of three years to do what they like and sleep over the matter?

Shri K. Narayana Rao (Bobbili): Sir, I have been hearing the speeches of the Members since yesterday. Of

[Sbri K. Narayana Rao]

course, on an occasion like this, everybody is interested in expressing his opinion on a very wider area. It is quite good; it is to be done. But many Members have forgotten the scope, the ambit, the necessity and the urgency of introducing this particular Bill. The Bill has a very limited object....

Mr. Chairman: The hon. Member should confine his remarks to clause 3.

Shri K. Narayana Rao: Yes. I am coming to that. The clauses are inter-related and most of the provisions are consequential. The main provision is the validation of certain transactions. In so doing, not only they want to validate certain transactions that had already taken place in the light of social justice, in the light of development, in the light of socialism and because in the process of all that they have to take into consideration certain hardships, they want also to bring about the time-limit between the issue of the notification and the declaration which was very vague and indifferent earlier. Today, you might take 10 years or even 15 years. Naturally, even when the Supreme Court had to interpret this particular technical word, they were perhaps so much impressed by these delays that they might have been constrained to give a technical meaning to this expression stating that notification and declaration is one and the same thing. Once we accept that particular interpretation, the hon. Minister rightly said that we have to undo many things, reopen many issues, with the result that these things must be validated.

The social factor is also there. We should not keep the gap very long. Now, the present issue will be whether it should be one year or three years or even five years. It is everybody's guess; it is everybody's imagination. There are the difficulties. You cannot forget the fact of litigation. So many other things

comes into the picture. It is good if it can be completed within one year. But the fact remains that in most of the cases, the administrative process will take a longer period. So, let us err on the wider side rather than saying that it should be completed within one year. If you cannot complete it within one year, you have to make a declaration again with the result that many of the things will be upset and a lot of litigation will take place. Once we accept the principle, the need of validation and the need for relief, there should not be any quarrel about the time factor. The quarrel is only about the time factor. The principle is accepted. I do not think that there is any necessity for having a quarrel over that. At least the provision is a definite one.

With these words, I support the original provision of three years as is mentioned in the Bill.

16.54 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Shri Annasahib Shinde: Mr. Deputy-Speaker, Sir, excepting the last Member who spoke just now, much of the criticism made by various hon. Members had been wide off the mark. May I submit that three years time-limit is the maximum limit. It does not mean....

Shri Mohammed Imam (Chitradurga): Sir, there is my amendment No. 21 on clause 3. I may be allowed to move it.

Mr. Deputy-Speaker: Now, the hon. Minister is replying to clause 3.

Shri Mohammed Imam: This amendment 21 is on clause 3.

Mr. Deputy-Speaker: Clause 3. Amendments 2 and 6 have been moved. The other amendments, 7, 17, 22 and others cover the same ground. Therefore, I do not think that the hon.

Member's amendment need be moved. It has already been covered. Does he want to speak?

Shri Mohammed Imam: I want the entire clause to be deleted.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member wanted to say something.

Shri Mohammed Imam: I want to move my amendment.

Mr. Deputy-Speaker: It is not necessary because it has been covered. The other amendments cover his. He can make a speech, if he wants.

Shri Mohammed Imam: By this amendment, I propose that the entire clause, lines 6 to 13, be deleted. It relates to Section 6 wherein it is contemplated that there shall be only one declaration. It has been the practice of this Government to issue different declarations and acquire lands piecemeal. This is not at all contemplated and the Supreme Court has definitely said that this is illegal and has given its opinion that there should be only one declaration, and in pursuance of this declaration when a piece of land is acquired and if the remaining land belongs to the same owner and if they want to acquire any more land from his area, then they have to issue a fresh declaration under Section 4 followed by another declaration under Section 6. So, the retention of this Clause will be flouting the judgment of the Supreme Court. The Supreme Court has ruled that there shall be only one declaration and with that declaration, section 4 exhausts itself. So, it is not proper for this House to flout the opinion of the Supreme Court and retain this Clause which is the cause of so much of misery and so much of hardship to the ryots whose rights are expropriated. It has been the practice these days to nullify the judgment given by the highest judiciary of the land. This is one such instance. Any opinion offered by the highest court is to be held with utmost sanctity and it has the same value as any provision of the Constitution. So, the judg-

ment of the Supreme Court should not be disregarded and it must be given due respect. But, on the other hand, here, the highest court is sought to be made a subordinate of the executive. If any opinion given by the Supreme Court is against the inclination of the Government, they at once rush and pass an ordinance and they entirely disregard the opinion of the Supreme Court. After all, in democracy, there are three organs which are important, namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. The Legislature deals with law-making, the Executive is meant to implement the law, but the Supreme Court is the guardian of the law, it is the upholder of the rights and liberties of the people and if its opinion is so lightly regarded and is not given effect to, then there is no safety for the people. Here the Supreme Court has given a definite ruling; they have said that the procedure adopted by the Government so far is illegal and unlawful and it should not be resorted to. They have said that there shall be only one declaration which should be followed hereafter. So, in the light of these observations, I submit that the entire Clause proposed may be deleted and the original clause retained.

Shri Annasahib Shinde: As I was submitting, the three years' time-limit is the maximum time-limit. It does not mean that in the case of each and every acquisition proceedings, the three-year period should be taken. In fact, we wish that the acquisition proceedings are completed as early as possible. But the point is this. In the previous Act there was no time-limit prescribed while in the new provision we are prescribing a time-limit.

As I have already stated in my earlier observations, we are reconsidering the entire scheme of the Act. At that time, perhaps, a number of things can be taken into consideration.

But I may submit that as far as the declaration under section is concerned, till the declaration comes in, the ori-

[Shri Annasahib Shinde]

ginal owner remains in possession of the land and the usufruct remains with the owner of the land. As far as the use of the land and the benefits of the land are concerned, they remain with the owner and no interest is adversely affected thereby.

Moreover, I may bring to the notice of this House a recent observation made by the Supreme Court about this. The Supreme Court has held in a recent case that after the intention to acquire the land is widely known, some ante-dating is reasonable...

Shri Dattatraya Kunte: Would the hon. Minister give the citation?

17 hrs.

Shri Annasahib Shinde: I shall give the citation presently. Otherwise, they have said that there is the risk of artificial boost-up in prices and speculators naturally take advantage of such a thing

As far as the time-limit is concerned, that is a very reasonable time-limit because some enquiries are prescribed according to the original scheme of the Act and in these enquiries, sometimes, there are a number of owners and co-owners who come up with conflicting claims and hence these enquiries take some time and it takes some time for the authorities to come to proper conclusions. So, the provision which has been made in the Bill is quite reasonable and it should be accepted

Shri Dattatraya Kunte: The hon. Minister promised to give the citation but he has not given it. To which case and to which judgment is he referring?

Shri Annasahib Shinde: I shall give him.

Shri Dattatraya Kunte: It should not go on record like that. It is an imperfect record otherwise

Shri Annasahib Shinde: I shall give it to him.

Shri Dattatraya Kunte: Till then it should not form part of the record of the House.

Shri Annasahib Shinde: The reference which I have mentioned is *Bela Banerjee* case.

Shri Dattatraya Kunte: The case number, the year and everything relating to it should be given. Otherwise, it would not be a proper citation.

Mr. Deputy-Speaker: Later on, the hon. Minister may give him all the particulars.

Shri Annasahib Shinde: I shall give him later. If Shri Dattatraya Kunte is interested, I shall give him all the particulars together with the copy of the judgment also.

Shri Dattatraya Kunte: I object to this remark. The House is interested in this. This is not the way to treat the House. . . .

An hon. Member: It is contempt of the House.

Mr. Deputy-Speaker: There is no question of contempt. He has said that all the particulars would be given. The hon. Member should accept. Where does the contempt of the House arise in that?

Shri Dattatraya Kunte: I did not talk of contempt. He said 'If Shri Dattatraya Kunte is interested.' Whether Shri Kunte is interested or not, the House should be given this information as of right and of duty.

Shri Annasahib Shinde: May I give the citation? It is the *State of West Bengal vs. Mrs. Bela Banerjee, 1954, SCR, 558.*

Mr. Deputy-Speaker: I suppose Shri Kunte has followed it. The hon. Minister has given all the particulars. I hope he is satisfied.

I shall now put the following amendments to vote, namely amendments Nos. 2 (the same as 7, 17 and 22), 6, (the same as 21), 8, 15, 16, 18 and 30. There is a Government amendment, namely amendment No. 24 which I shall put to vote separately.

Those who are in favour of these amendments may say 'Aye'.

Some hon. Members: 'Aye'.

Mr. Deputy-Speaker: Those against may say 'No'.

Some hon. Members: 'No'.

Mr. Deputy-Speaker: I think the 'Ayes' have it, the 'Ayes' have it. . .

Shri Dattatraya Kunte: So, the amendments are passed. . . (Interruptions).

Some hon. Members: No. . .

Mr. Deputy-Speaker: No.

An hon. Member: The amendments are passed. There can be no division now. (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: May I point out...

Some hon. Members: We want division.

Shri Dattatraya Kunte: The declaration has been made twice. There cannot be division now.

Shri V. Krishnamoorthi: When the amendments have been passed, the Government must tender its resignation now.

Shri Annasahib Shinde: On a point of order.

Shri Dattatraya Kunte: There cannot be any point of order after the ruling has been given.

Mr. Deputy-Speaker: That might be my opinion, but they are claiming division.

Shri Kanwarial Gupta: No, no.

Shri Dattatraya Kunte: No, no division was claimed.

Shri V. Krishnamoorthi: On a point of order.

Shri Tenneti Viswanatham (Visakhapatnam): No division was claimed at all.

Shri Annasahib Shinde: On a point of order.

Shri V. Krishnamoorthi: On a point of order. After putting our amendments to the vote of the House, the Deputy-Speaker said: 'Those in favour will say 'Aye'; then he said 'Those against will say 'No'. After hearing the response, he has given his judgment. The Deputy-Speaker has announced that the amendments are carried (Interruptions). Consequently, the Government has to tender its resignation. When amendments moved by the Opposition Members have been passed, it is the duty of the Cabinet to resign. We have respect for the Deputy-Speaker; we have respect for his decision. The Deputy-Speaker has given his decision. That must be respected by the ruling party also.

Shri Annasahib Shinde: I am also one of the movers of amendments.

Shri V. Krishnamoorthi: He had left his amendment for the time being. It was only our amendments which have been put to vote, not the Government amendment.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kanwarial Gupta.

Shri Dattatraya Kunte: Before you give your ruling, you should hear us.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले प्रापने प्रमेडमेंट का नाम लिया, प्रमेडमेंट के नम्बर का नाम लिया, कि यह जो प्रमेडमेंट है उस पर जो लोग इसके हक में हों वह आवेज करें और जो हक में नहीं वह नोज करें। फिर प्राप ने कहा कि

[श्री कंवर लाल गुप्त]

"भायेज हैव इट"। उस का जो रेकार्ड है आप उसको देख लीजिये। उस के बाद जब हम लोगों ने कहा कि प्रमैडमेंट पास हो गया तब उस वक्त उनकी जाग बुली।.. (ध्वजबान)। उन्हें पता नहीं था कि वह क्या कर गये और क्या हो गया। जब हम ने कहा कि प्रमैडमेंट पास हो गई, मैंने और दूसरे साहब ने उस के बाद ब्याल आया की गलती हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि आप रेकार्ड देख लीजिये। उन्होंने जो डिबीजन की मांग की है, तो इस वक्त डिबीजन नहीं हो सकता क्योंकि जब एक बार डिप्टी स्पीकर ने, जेफर ने, कह दिया कि प्रमैडमेंट पास हो गई तो उस के बाद डिबीजन नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ (ध्वजबान)

संसद कार्य सभा संचार मंत्री (डा० राज बुधग सिंह) : मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूँ।

Shri Kanwarlal Gupta: I would request the hon. Minister not to interfere.

मैं यह कहना चाहता था कि चूंकि यह प्रमैडमेंट अब बिल के साथ पास हो गई है, और दूसरी चीज यह है कि मैं अपने भाई से सहमत हूँ जो कुछ उन्होंने पंजाब सरकार के बारे में कहा कि चूंकि अब यह प्रमैडमेंट पास हो गई है इस लिये यह नो कॉन्फिडेंस है और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

Shri Dattatraya Kunte: I want to make a few observations before you come to any conclusion on the matter...

Mr. Deputy-Speaker: On the same point of order?

Shri Dattatraya Kunte: Yes.

As my predecessor has rightly put it, the shorthand notes are there; reference may be made to the shorthand notes or the tape-recording which is

there, which will indicate that you in your best judgment did declare it twice, not once. You said "The Ayes have it", waited for a moment for any one to rise for a division. Nobody rose.

Dr. Ram Subhag Singh: No, no. That is not so. (Interruptions).

Shri Dattatraya Kunte: I am not yielding. Let them shout, I am not yielding. I know what shouting is.

An hon. Member: Then, we shall also shout.

Shri Dattatraya Kunte: Go ahead. As long I am in possession of the House, I am not going to yield, let them shout.

I was submitting that the record is there. I am only suggesting to the Chair that the record be consulted, the tape-recorder and also the shorthand notes, I have confidence in the shorthand reporter also. Therefore, I was simply saying: let the Chair examine for itself the records both of the tape recorder and also the shorthand Reporter, and if he finds that the statement which I have made is correct, because the tape-record ought to record that voice—if I demand a division, my voice would be recorded there—if that is the position, it might be a lapse, even Homer nods, nothing is lost. I would only point out that I am not of the same opinion which has been voiced just now, as the Government has another remedy. This Bill will go to the Upper House, there the amendment could be passed, it can come back to this House. Therefore, if some lapse has happened...

Dr. Ram Subhag Singh: There is no lapse.

Shri Dattatraya Kunte: ... they must pay the price for it. To bamboozle and to shortcircuit the procedure of this House is a wrong practice, and I am finding that since the first day of the

Fourth Lok Sabha we are short circuiting. I would not like this to be done.

I do not want the Chair to come to any opinion unless it has examined the record, both of the tape-recorder and of the shorthand Reporter. It need not take any advice from me or from any other member. If no reference is going to be made either to the record of the tape-recorder or the shorthand notes, I will have to say that harm is being done to this august House.

Shri Krishna Kumar Chatterji (Howrah): The point is this. From the Deputy-Speaker's mouth "The Ayes have it" escaped, that is true. (Interruptions). But I will remind you that you at once paused. You stopped, at that moment we asked for a division, in between your two "Ayes have it" we asked for a division.

Some hon. Members: No.

Mr. Deputy-Speaker: It is not necessary to refer to the records. As the hon. Member has observed and has also confirmed, it was a slip, but on account of that slip you should not claim that there is no occasion for a division, because immediately I had a look at him, and the Minister got up and immediately asked for a division. (Interruptions).

Shri V. Krishnamoorthi: The Speaker should not commit an error. You must safeguard the interests of the Chair.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour): Let Mr. Kunte's suggestion be accepted.

Shri Kanwarlal Gupta: This is a serious matter

Shri Tenneti Viswanatham: I have a submission to make Mr. Deputy-Speaker.

Shri A. K. Sen (Calcutta North West): On a point of order, Sir. Once the Chair has declared a particular

138 (A1) LSD—8.

announcement as being due to an accidental slip or error, that is the end of the matter and that concludes it.

Shri Tenneti Viswanatham: With great deference to the learned Member here, may I say that it will be a very dangerous practice.

Dr. Ram Subhag Singh: There is nothing dangerous in it.

Shri A. K. Sen: It can only be upset by an adverse vote of the House. (Interruptions)

Shri Tenneti Viswanatham: There is no question of resignation or anything. Nobody presses for it. To say that there was a slip and therefore to permit a division will be creating a very bad precedent. Tomorrow it may be a more important measure and therefore this House should not be made to act because it was a slip. You did not say that it was a slip.

Mr. Deputy-Speaker: I have said it; I agreed with him... (Interruptions). There is no necessity to refer to the tape recorder.

Shri Pileo Mody (Godhra): I appeal to the Minister in the name of democracy to accept it sportingly.

श्री कंबर बाल गुप्त : सारे इधर के मंत्र्य एक राय रखते हैं और उनका कहना है कि एमेन्डमेंट पास हो गई है। उधर की तरफ लोग कह रहे हैं कि हमने डिविजन डिमांड किया था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये हमारी यह मांग बढ़ी जायब मांग है कि रिफार्ड देख लिया जाये और टेप रिफार्ड भी देख लिया जाये। क्लर प्राप इनको एग्जिप्ट नहीं करते हैं और इस डिमांड को नहीं मानते हैं और डिविजन प्रब करवाते हैं तो यह बहुत बराब प्रेसीडेंट होगा और इसका बहुत गहरा असर होगा और इससे डेमोक्रेसी को काफी चोट पहुँचेगी। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि रिफार्ड और टेप रिफार्ड प्राप दोनों देखें और फिर जो करना हो करें।

Mr. Deputy-Speaker: I have heard all the sides. I would like to ask this question. Are we going to take a stand like this when I have admitted that it was a slip? That is the main question. In this august House when we are considering an important measure like this, are we going to insist on this, when I have admitted that it was a slip. I think they are perfectly right when they are claiming a division and so I have ordered a division. Let the Lobbies be cleared..... (Interruptions). When the Division is ordered, nothing will on record.

Several hon. Members rose—

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down. The lobbies have been cleared.

श्री कंबर लाल गप्त : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी फीलिंग का ध्यान रखें। हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर इसी तरह कार्यवाही चलाई गई, तो हम इस हाउस में नहीं रह सकेंगे। यह बात गलत है। यह बड़ी अजीब बात है कि आप निश्चित रिकार्ड को भी नहीं देखना चाहते और टेप रिकार्ड को भी नहीं देखना चाहते।

श्री जार्ज कर्नोडीच (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का गलत और नियमों के विरुद्ध कोई काम आप के द्वारा नहीं होना चाहिये।

श्री हरदयाल बेकगुल (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल का सफोषन पास हो गया है। अब सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: I shall repeat what I had already said. It was a slip, and on that basis—(Interruption).—please sit down, let me finish—I do not think this august House can take a decision. That is the first point. Then, I said this side has the

inherent right to claim a division—(Interruption).

Several hon. Members rose—

श्री जार्ज कर्नोडीच : उपाध्यक्ष महोदय आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये।

Mr. Deputy-Speaker: I will now put all the amendments to the vote, except the Government amendment.

Shri F. K. Deo (Kalahandi): Sir, what I have learnt is that after you have given your ruling on the subject, and said that an amendment has been adopted—"The Ayes have it, the Ayes have it," they cannot retract and go back. It was embarrassing for us even to participate in the debate any longer.

Mr. Deputy-Speaker: Do you want to take advantage of that slip?

Mr. Deputy-Speaker: I have called Mr Sen (Interruptions).

श्री जार्ज कर्नोडीच : मैं पहले से खडा हूँ। पहले आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये।

Shri Kanwarkal Gupta: The matter has been decided. If you have got any doubt, please find out from the tape record.

Mr. Deputy-Speaker: After admitting the slip, I have .. (Interruptions).

श्री जार्ज कर्नोडीच : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये। मैं आप ध्यान नियम 367 की ओर दिखाना चाहता हूँ जिस में कहा गया है :

"(1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'."

इस नियम का उपनियम (2)
इस प्रकार है :

"(2) The Speaker shall then say: "I think the Ayes (Or the Noes as the case may be) have it". If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged . . .

An hon. Member: It has been challenged.

Shri George Fernandes:

"...he shall say twice: "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly."

असल में आप ने हम लोगों की मदद की है। अब जो चिल्लाया जा रहा है उस का जबाब आप के मुँह से यह गाय है: "मैं ने गलती की है देयर वाज ए रिलप आन माई पार्ट"। मैं आप से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आप की ओर से कोई गलती या स्लिप नहीं हुई है। जिस वक़्त आप ने इस तरमीम को पेश किया उस वक़्त इस तरफ के लोग ज्यादा संख्या में सदन में मौजूद थे। उस तरफ के लोगों ने इस कानून और इस तरमीम का महत्व नहीं समझा किम के कारण वे लोग सदन में मौजूद नहीं थे। जब उन को अपनी गलती महसूस हो गई कि उन की लापरवाही की वजह से यह तरमीम पास हो रही है, क्योंकि हमारी तरफ से कहा गया कि हमारी तरमीम पास हो गई है, तो उन की तरफ से चिल्लाना शुरू हो गया। आपने एक बार एक निर्णय दिया और एक तरमीम को पास किया। एक नियम के आधार पर दिया हुआ निर्णय अगर बदलने का काम आप करेंगे तो कैदतना कहूंगा कि यह नियम उल्लंघन हो जायगा, यह नियम को तोड़ने का काम हो जायगा। बिल्कुल एक साझुची सी गलती की वजह से छोटी सी गलती की वजह से लापरवाही की वजह से सरकार को आज यहाँ पर फिर झुकाना

पड़ा है अब इनको झुकाने का फ़ायदा आप की तरफ से नहीं होना चाहिये। नियमों का पालन करना और पालन करवाना आपका काम है। आप नियमों के संरक्षक हैं। इनका आपने संरक्षण करना है। नियमों को तोड़ने का महापाप इन लोगों को बचाने के लिए आपके हाथ से हो जाएगा तो वह सर्वथा अनुचित होगा।

श्री मनु भाई पटेल (इमॉई) :
एम्बेमेट के बारे में आईज हैट इट यह तो आप बोले थे लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि एम्बेमेट इज पास्ड और एम्बेमेट इज पास्ड कहने से पहले ही हमारी तरफ से डिविजन याग ली गई थी—(इंटरप्शन) :

Shri Dattatraya Kunte: Sir, you have come to the rescue of persons who need not be rescued at this stage, because they need not leave their chairs and go to the other side. This is not a defeat where the Government has to resign. The remedy is there; they can go to the Upper House. If a slip has been committed, let us find out by whom it has been committed. (Interruption). An hon. Member here wants to convert this into a machhi bazar. He has no right to say that.

Sir, on the first point I said, let us refer to the tape record and shorthand notes. The Chair was pleased to say that the Chair committed a slip. Before the Chair said that I referred to 'Homer also node' and all that. Let us find out from the tape record whether the Chair immediately said that a slip was committed or there was a time lag of 15 to 20 minutes. Then it cannot be a slip. I am not making any statement at all. I am only pleading with the Chair, that the Chair should itself look into the tape record, into the shorthand records and see whether ten to fifteen minutes elapsed before the Chair said that a slip was committed. If the records show that it was after a lapse of ten or fifteen minutes that the Chair said that a slip was committed, well, then let the consequences be taken. They are not so heavy. It only means some

[Shri Dattatraya Kunte]

time. Let me make it very clear, Sir, that if such a ruling is given at this stage the Chair is asking us to disrespect the rules of this House. In the last few days that I have sat in this House, unfortunately, I have seen, with due respect to the Chair a Members of the House, not sufficient respect being paid to the rules of this House, I do not say that the Chair has been very co-operative in seeing that the rules are obeyed—with humility I say that; if I have committed any mistake I apologise to the Chair. Yesterday a thing happened. The House could not have taken up two motions and discussed them. At one time we pointed it out to the Chair. Today again we are committing another mistake. If we are going to commit mistakes like this and then our rules are not followed it will lead to a pandemonium. Therefore, I earnestly appeal to the Chair and through the Chair to the Members on the Treasury Benches to see that we do not convert this House, this august Parliament of this country, into this a pandemonium—my hon. friend here wants to name it—I do not want to say so—a fish market. Therefore, I would humbly request you do not to do this thing because this is a small matter, the matter could be taken to the Upper House, it could come back here and then it could be passed.

It is a small matter and all this should not be done just on the pretext of a slip. I have made a request for reference to the tape-recorder. If the Chair is not to concede this small request of referring to the tape-recorder, not to any statement either by me or by any other Member, the only course open to honest men like me is to walk out and that is what I will resort to.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Fernandes referred to rule 367 and pointed out:

"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): It was not challenged.

Mr. Deputy-Speaker: But there is another provision, namely:—

"After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the "Ayes" or the "Noes" have it."

This provision is intended if by any slip the opinion expressed by the House . . . (Interruption). Then, there is another provision:—

"If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by the members going into the Lobbies." (Interruptions)

Shri S. M. Banerjee: Kindly read the rules during the inter-session and then give a ruling on the subject. . . (Interruption).

Shri Kanwarial Gupta: Why do you not listen to the tape-record and decide?

Mr. Deputy-Speaker: Therefore, the rules lay down that because we want to ascertain the correct judgment of the House—not once or twice but even thrice. Whatever Shri Kunte may have observed, we are observing the rules. Yesterday also the Speaker observed the rules. I have got the lobbies cleared, I will order the division . . . (Interruption).

Shri Dattatraya Kunte: We walk out.

15.38 hrs.

Shri Dattatraya Kunte then left the House.

Some hon. Members: Shame, shame.

Several hon. Members then left the House.

Shri Phee Mody: Why do you not consult the records?

श्री अहल सिंह, श्री बाजपेयी (बलगमपुर):
मुझे इतनी बात कहनी है कि वह गलती आपकी
हुई है या कांग्रेस पार्टी की हुई है? अगर
गलती कांग्रेस पार्टी की हुई है तो उसे आपको
अपना गलती नहीं बनानी चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: It is my slip.

Shri S. M. Banerjee: There is no
question of there being your slip. It
is a slip on their part.

Shri Bal Raj Madhok: There is no
slip on your part.

Shri S. M. Banerjee: That is why
we did not want a Congress man to be
there in the Chair.

Shri A. B. Vajpayee, Shri Bal Raj
Madhok, Shri S. M. Banerjee and some
other hon. Members left the House.

Mr. Deputy-Speaker: The question
is:

Page 2, line 21—

for "three years" substitute
"one year" (2).

Page 2,—

omit lines 6 to 13. (6)

Page 2,—

omit lines 23 and 24. (8)

Page 2, line 8,—

after "and" insert ", not exceed-
ing two,". (15).

Page 2, line 11,—

for "different" substitute "two".
(16).

Page 2,—

after line 24, insert—

'(c) in sub-section (3), after
the word: "hereinafter appear-
ing", the following shall be
inserted, namely—

"after payment being made
within a period not exceeding
sixty days". (18).

Page 2, line 21,—

for "three years" substitute—
"six months". (30).

The Lok Sabha divided.

AYES

Division No. 6

Patel, Shri N. N.
NOES

Ahmed, Shri F. A.
Bajaj, Shri Kamalnayan
Barua, Shri R.
Barupal, Shri P. L.
Baswant, Shri
Bhakt Darshan, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri
C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Brahm Prakash, Shri
Buta, Singh, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj
Singh
Chavan, Shri Y. B.
Das, Shri N. T.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri Shivaji-
rao B.
Ganesha, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gavit, Shri Tukaram
Gupta, Shri Ram Kishan

Hajarnawis, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Kavade, Shri B. R.
Kotoki, Shri Liladhar
Kinder Lal, Shri
Lakshmikantamma,
Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahinda, Shri Narendra
Singh
Malhotra, Shri Inderjit
Marandi, Shri
Masuria Din, Shri
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mondal, Dr. P.
Naghnoor, Shri M. N.
Nahata, Shri Amrit
Nayar, Dr. Sushila
Pahadia, Shri
Pandey, Shri Vishwa
Nath

Pandit, Shrimati Vijaya
Lakshmi
Pant, Shri K. C.
Parmer, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Patel, Shri Manubhai J.
Patel, Shri Manubhai
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri T. A.
Raj Deo Singh, Shri
Ram Kishan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Sewak, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramesh Chandra, Shri
Rampur Mahadevappa,
Ramchekhar Prasad
Singh, Shri
Rana, Shri M. B.
Rane, Shri
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Shri S. K.
Sayyad Ali, Shri

Sen, Shri P. G.	Suddhaya, Shri	Tiwary, Shri D. N.
Sethi, Shri P. C.	Sinha, Shrimati Tar-	Tula Ram, Shri
Shah, Shri Manabendra	keswari	Tulidas, Shri H. D.
Sheo Narain, Shri	Sonavane, Shri	Verma, Shri Prem Chand
Shinde, Shri Annasahib	Supakar, Shri Sradhakar	
Shiv Chandika, Shri	Swaran Singh, Shri	

Shri A. T. Sarma (Bhanjangan):
The machine is not working.

Mr. Deputy-Speaker: The result of
the Division is:

Ayes .. 1

Noes .. 83

Some hon. Members: The machine
is not working

Mr. Deputy-Speaker: They may
please rise in their seats.

Some hon. Members rose—

Mr. Deputy-Speaker: The "Noes"
have it; the "Noes" have it.

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now
out Government amendment No 24
to the vote of the House. The ques-
tion is.

Page 2, line 12,—

after "have been made" insert—
" (wherever required)" (24).

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question
is:

"That Clause 3, as amended,
stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added
to the Bill.

Clause 4—(Validation of certain
requisitions).

Mr. Deputy-Speaker: We shall
take up clause 4. In regard to this
clause, there are some amendments:
Nos. 9, 10, and 20. No. 20 is the same
as No. 10. Then there are amend-
ments Nos. 19, and 22. Then there
are Government amendments Nos. 23,
26, 27 and 28. Then there is another

amendment No. 31 Is any of these
amendments moved?

Shri Annasahib Shinde: I am mov-
ing amendments Nos. 25, 26, 27 and
28. Amendments made:

Page 2, line 37,—

omit "or". (25).

Page 3, line 3,—

omit "or". (26).

Page 3, lines 7 and 8,—

omit "in pursuance of one or
more reports made under sec-
tion 5A thereof". (2).

Page 3,—

after line 25, insert—

"(3) Where acquisition of any
particular land covered by a
notification under sub-sec-
tion (1) of section 4 of the
principal Act, published before
the commencement of the Land
Acquisition (Amendment and
Validation) 1 of 1967 Ordi-
nance, 1967, is or has been
made in pursuance of any decla-
ration under section 6 of the
principal Act, whether made
before or after such com-
mencement, and such declara-
tion is or has been made after
the expiry of three years from
the date of publication of such
notification, there shall be paid
simple interest, calculated at
the rate of six per centum per
annum on the market value of
such land, as determined under
section 23 of the principal Act,
from the date of expiry of the
said period of three years to
the date of tender of payment
of compensation awarded by
the Collector for the acquisi-
tion of such land:

Provided that no such interest
shall be payable for any period
during which the proceedings

for the acquisition of any land were held up on account of stay or injunction by order of a court:

Provided further that nothing in this sub-section shall apply to the acquisition of any land where the amount of compensation has been paid to the persons interested before the commencement of this Act." (28).

(Shri Annasahib Shinde)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: There are no amendments to clause 5.

Shri V. Krishnamoorthi: I have given an amendment to clause 4.

Mr. Deputy-Speaker: We have adopted clause 4. You were not present then. I shall put Clauses 5 and 1, the Enacting Formula and the Title to the Bill. The question is:

"That Clauses 5 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Annasahib Shinde: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed"

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

की विजति निम्न (कोतिहारी) :
उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव-
सम विद्या है कि सरकार लैंड एक्वीजीशन के

के सब पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर के भ्रगसे सेसन में इस बिल को फिर लायगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने इस कमिटिमेंट को पूरा करेंगे। लैंड एक्वीजीशन कानून को जिस तरह से एनफोर्स किया गया है उस से किसानों को बहुत तकलीफ होती है और उन की बहुत सी जमीनें खली गई है। उन जमीनों के एवज उन लोगों को दूसरी जमीनों दी जा सकती थी लेकिन वे नहीं दी गई और इस सम्बन्ध में बहुत शिकायतें हुई हैं। मैं उन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मामले को अच्छी तरह से समझ कर और मेम्बरों की राय ले कर भ्रगसे सेसन में दोबारा इस बिल को लायें।

Shri Dattatraya Kunte: Sir, we are at the third reading of the Bill. This is unfortunate that we are passing such a measure—(Interruption)—I am speaking on the third reading and a Member has the right to do so. I have caught the eye of the Chair.

Mr. Deputy-Speaker: He has got the right. Let him go on.

Shri Dattatraya Kunte: It is very unfortunate that in the first session of the Fourth Lok Sabha we are laying down a tradition of disregarding the very eloquent and very lucid and learned judgment of the Supreme Court by passing such a sort of legislation which really does not help the Government, and at the same time, causes great harm to the peasants whose interests the party in power has been claiming to be having utmost in their hearts (Interruption). When I found that it was not correct, I left. Now, as I was saying, I expected, this first session of the Fourth Lok Sabha to lay down different traditions; we have three different repositories or power in this country—the legislature, the judiciary and the executive who should respect each other and respect the opinion expressed by each other. In this particular case, what do we find? The Supreme Court, on a matter which came before it—it did not do

[Shri Dattatraya Kunte]

it also motu, and there have been hundreds of thousands of cases where more than one declaration might have been passed and the land might have passed hands—gave a decision; it did not bother about it before the case came before it. When one citizen takes a matter to the Supreme Court and believes that he has won in law, we the supreme legislature of this country want to deprive him, by passing this legislation, of the right that he had earned in a court of law. If we pass this legislation, which I am afraid this House by the majority which the Government commands would pass, we will be doing a dis-service to this country, because we will tell the people that the judicial decision and the judicial interpretation of law passed by this legislature or by its predecessor is not respected in case it does not suit the wishes of those in power. Therefore, I will again appeal before this stage is over, to the Government that they should reconsider the matter and withdraw the Bill rather than pass it and take it to the other House and convert it into law.

श्री अमृत माहटा (बाबनेर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री के इन भाषाबासन का स्वागत करता हूँ कि वह बहुत ही शीघ्र भूमि अधिग्रहण के प्रश्न पर एक काम्प्रहेंसिव कानून पेश करेंगे जो इस देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होगा जो आज के नये हालात को देखते हुए भूमि-अधिग्रहण की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनता की तकलीफों को कम से करने वाला बिल होगा। भूमि अधिग्रहण की जो समस्या है वह है प्राधुनिककरण की समस्या, शहरीकरण की समस्या। हम लोग भाषनाओं में कह कर जब यह बात कहते हैं कि यह कानून स्वतः ही किसानों के हितों के खिलाफ जाना है तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। आज के युग में प्राधुनिकीकरण और शहरीकरण की मांग यह है दुनिया के हर देश में यह मांग है। इस समय

सरकार को खेती की किसानों की जमीन को लेने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन कानून ऐसा होना चाहिये जो कि इस प्राधुनिकीकरण और शहरीकरण को कम से कम पीड़ादायक बनाये कम से कम किसानों को उस से तकलीफ हो। कम से कम पीड़ा की मार्फत अधिग्रहण हो इस प्रकार का कानून होना चाहिये। जिस समय यह कानून बनाया गया उस समय इस बात का ध्यान नहीं रक्खा गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि जो नया बिल पास करें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो भूमि ली जाये उस को लेने में जिस की भूमि ली जाये उस को कम से कम कष्ट हो।

एक और समस्या मैं उस वक्त पेश करना चाहता था जब कि पहला वाचन चल रहा था, लेकिन वह मैं अब पेश करने के लिये मजबूर हो रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ जमीन ऐक्वायर की है। यहाँ पर 100 बीघे या 100 एकड़ का प्रश्न नहीं है। उस ने करीब 1000 वर्ग मील भूमि ऐक्वायर की है। वह कितने एकड़ होती है इस का हिसाब आप लगाइये। उस में फील्ड फायरिंग रेंज बनाया जा रहा है। उस एक हजार वर्ग मील में 38 गांव आते हैं जो लोगों के ले लिये गये हैं। वहाँ पर 12 हजार लोग हैं और एक लाख मवेशी है। उन को गाँवों और घरों से निकाल दिया गया है। उन की फसलें वहाँ खड़ी है लेकिन वह फसलों को देख तक नहीं सकते हैं। चारों तरफ कांटेदार तार लगा दिये गये हैं। 12 हजार आदमी बेघरबार हो गये हैं। मैं चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण अधिकारों का उपयोग करते वक्त सरकार इस सदन को एक भाषाबासन दे कि जब कभी सरकार ऐटम बनाने की कोशिश करे ऐटम बन बनाने के प्रश्न पर जैसी सरकार ने घोषणा की है कि यह प्रश्न खुला है— मैं उस से अनुरोध करूँगा कि वह इस बात की सदन के सामने घोषणा करे कि यदि वह

सरकार कभी भी किसी भी दिन ऐंटम बनाने कोशिश करेगी तो जैतनमेर और बाइमेर जिलों की जमीन इस ऐंटम बम के टेस्ट करने के लिये ऐक्वायर न की जायेगी ।

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस गर्बमेंट से साफ कह देना चाहता हूँ और इस अपोजिशन से ज्यादा स्ट्रॉंगली कहना चाहता हूँ कि प्राप जो लैंड ऐक्विजिशन कानून पास करने जा रहे हैं वह बड़ा खतरनाक है । एग्जाम्पल हमारे सामने है कि गाजियाबाद की हजारों बीघे जमीन ली गई, लेकिन न उस पर मकान बने और न कोई कंस्ट्रक्शन हुआ । आज जा कर अगर प्राप वहा के किसानों का देखिये तो वह बेचारे तितर बितर हो गये । न उन को कोई रोजी देने वाला है और न खाना देने वाला है । अगर प्राप को आज मकानों की जरूरत है तो थोड़ा बजट मंजिले मकान बनवाइये । जो सरकारी दफतर दिल्ली में हैं प्राप को क्यों नहीं हटाते हैं । इस लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ . . (व्यवधान) मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जिम्मे-दारी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान के दर्द को जानता हूँ । उधर वाले लोग तो सिर्फ हुस्नबजायी करना जानते हैं । किसानों की बकायत करने के लिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कानून बनाने का समय वह होता है जब इमेर्जेन्सी हो या कोई नड़ाई हो । उस वकन प्राप भले ही जमीन ऐक्वायर करे । कोई मेडिकल कालेज खोलना हो तब प्राप जमीन ऐक्वायर करें । लेकिन अगर ऐसी कीर्ड बात न हो, प्राप को सिर्फ दफतर खोलने हों, 100 आदमियों को बमाना हो तो और इस के लिये प्राप किसानों की जमीन को ले लें, यह ठीक नहीं है । हम भीख मागते हैं अमरीका जा कर, हस जा कर कि अन्न ला कर खिलाओ, और यहां इस तरह से करते हैं । अगर अमीनों को जबदस्ती लेना ही पड़े तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि वह मुनासिब ढंग से करे और ठीक कानून बना कर करे ।

श्री तुलसीदास शास्त्र (बराभती) : मैं कोई भाषण नहीं करना चाहता हूँ । केवल सूचना देना चाहता हूँ । पहली सूचना यह है कि जो जमीन कब्जे में ली जाती है, जब वह कब्जे में ली जाती है उसी वकत का किसान को दाम दे दिया जाये । लेकिन नोटिफिकेशन पहले होना है और चार पाच वर्ष बाध कब्जा किया जाता है । मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वकत कब्जा लिया जाये उसी वकत का दाम दे दिया जाये ।

दूसरी बात यह कि जने कब्जे में लेने के बाद भी लैंड रेवेन्यू काश्तकार को देनी पड़ती है । काश्तकार खुद लैंड रेवेन्यू देना है लेकिन उस का फायदा उस को कोई नहीं मिलता । इस लिये जब तक जमीन सरकार के अधिकार में हो, लैंड रेवेन्यू सरकार दे ।

तीसरी बात यह कि जमीन की जो कीमत होती है, उस को अफसर लोग अपने मन से तय न करे । जो प्रडोस-पडोस में जमीन की कीमत हो उस के हिसाब से काश्त-कार को भी कीमत मिलनी चाहिये और वह तुरन्त मिलनी चाहिये । बीस पच्चीस वर्ष बाद नहीं मिलनी चाहिये ।

श्री क. ना. तिबारी (बेतिया) : जो कुछ श्री कुंटे जी ने कहा है मैं उस की तारीफ करता हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में जल्दबाजी न करे । उस को इस तरह से खाना चाहिये जिस में किसानों की तकलीफें भी दूर हो और काम भी पूरा हो जायें । अगर आज किसानों से जमीन को लेने में कोई तकलीफ होती है उन को, तो वह भी नहीं होनी चाहिये ।

श्री बलराज बघोच : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जितने भी लोग बोलें हैं, चाहे कांग्रेस बेंचेंज के चाहे विरोधी बेंचेंज के, सब में एक मत हो कर, एक स्वर से इस का विरोध किया है । इस के बावजूद भी यदि

[श्री नसरुज मखोक]

कुछ कांग्रेस सदस्यों ने इस के पक्ष में बोट दिया है तो यह उन की नैतिक कमजोरी, नैतिक कमी है, जिसका परिणाम आज देश भर में देखा जा रहा है। यह उन की नैतिक कमजोरियां ही प्रकट करती हैं। ग्रीक जब बोटिंग का समय आया तो मैं समझता हूँ कि जब उनके मुँह से ख.बीज निकला तो यह उन की नैतिक आत्मा का पक्ष था। बोट देते वक़्त उन की आत्मा बोल रही थी। उन का शरीर कैद है लेकिन उन की आत्मा फिर बोल उठती है।

इस लिये मैं कहूँगा कि अगर आप समझते हैं, आप की आत्मा अगर मानती है कि यह बिल गलत है, और आप जानते हैं कि इस बिल के द्वारा आप प्रत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर, इस बिल के द्वारा आप दिल्ली की हार्जमिंग प्रब्लम को हल नहीं करने जा रहे हैं बल्कि लाखों लोगों को बेघर करने जा रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आज आप का बहुमत है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुनिये, आप नैतिकता की आवाज़ को भी सुनिये और जनता का विचार कर के इस बिल को पास न कीजिये। समय गुजरने दीजिये, और फिर जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि वह कमिशन मुकर्रर करने वाले हैं, पार्लियामेन्ट्री कमिशन मुकर्रर किया जाये। उस की रिपोर्ट आने दी जाये। उस के बाद अच्छे तरीके से बिल पास करना हो उसे पास किया जाये। इस क सम्बन्ध में मैं फिर प्रार्थना करूँगा कि इस को तुरन्त पास न किया जाये।

Shri V. Krishnamoorthi: Mr. Deputy-Speaker, Sir, since the Bill was introduced in the Lok Sabha, so many things have happened, some parliamentary and some unparliamentary. Whatever it may be, we are now at the final stage of the Bill.

I spoke on the Bill yesterday and the Government has now come forward with an amendment on which I

could not speak. Anyway, I thank the Government for having at least introduced an amendment to safeguard the interests of those people whose lands have been notified right from 1949 onwards. This is only a half measure which will satisfy the people to some extent. My request to the Government is that the entire land acquisition law must be thoroughly changed. The hon. Minister has already made a statement on the floor of this House that he will constitute a Parliamentary Committee to go into the working of all the aspects of the Bill. Though the Ordinance gives still three or four months time, the Government has thought it fit to pass it immediately to safeguard the interests of the Government acquisitions.

My only request is this: let the Government constitute a Parliamentary Committee to go into the question of Land Acquisition Act immediately, so that we can discuss at full length the aspects of the Land Acquisition Act.

18 hrs.

Shri Tenneti Viswanatham: We have taken an oath to observe the Constitution—not only the letter of the Constitution but also the spirit of the Constitution. After the Second Reading was over and after the Third Reading has begun, we have heard speeches, also from the Congress side opposing this Bill practically. Therefore, the result of the discussion is that almost the entire House is against it excepting the Executive which has given a whip in this matter. If no whip was given, it was clear that the clauses also would have been opposed by most of the Congress Members. Therefore, if the Government should observe the spirit of the Constitution, I think they would do well to withdraw the Bill even at this stage. There is absolutely no difficulty, for, the Minister has already promised that he would introduce a comprehensive Bill.

We have taken an oath that we would respect the spirit of the Constitution. The Supreme Court is a part of the Constitution. The moment the Supreme Court interprets your legislation, immediately you come forward with a legislation to nullify the interpretation. Is it observing the spirit of the Constitution? Let the Government ponder over this.

श्री हरबहाल बेबन्युन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूँ और इस सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बिल को इस स्टेज पर भी पास न करे। यह बिल जनता विरोधी है। इस बिल से पहले ही किसानों को बहुत नुकसान पहुँचा है और अगर यह पास हो गया तो यह किसानों के हितों को तबाह कर देगा। इसलिए जो कुछ पीछे इस बिल से नुकसान हुआ है उस को अब भागें नहीं बढ़ाना चाहिए। 1894 के प्रिंसिपल ऐक्ट के द्वारा भी जो किसानों को सुविधाएँ प्राप्त थी वह भी इस बिल के द्वारा छीनी जा रही है। विदेशी सरकार से हम यह उम्मीद नहीं रख सकते थे कि वह जनता का ध्यान रखेगी लेकिन अब जो इस वक्त सुविधाएँ प्राप्त थी वह सरकार को छीननी नहीं चाहिए।

इस बिल का सदन के सभी माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। कांग्रेस बैचेंज में से किसी ने भी उस के समर्थन में तर्क नहीं दिये। इस से यहाँ दिल्ली के हजारों किसान बेचर हो गये हैं। 45 पैसे फी गज के हिसाब से जमीन लेकर उन को 200 रुपये गज तक जमीन बेची है। उन के जमीन छीन कर मुघाबिका बोझा देकर उन को बेरोजगार और बेचर कर दिया है और भागे भी यही उम्मीद है कि यह किसानों को जो बचसूने किसान है उन को भी तबाह कर देगी। इसीलिए जिन लोगों ने मकान बनाये हैं उन के भी मकान दिल्ली में उजाड़ दिये गये और उन्हें मुनासिब मुघाबका नहीं मिलेगा इसलिए यह बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और सभी सदस्यों

से अपील करता हूँ कि वह इस बिल को पास न करें।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अपने उधर के भाइयों से यही अपील है कि उन को अपना एरोब कंस्ट्रक्टिव रखना चाहिए। उन को इस बात का ताज्जुब होता है कि बीसे तो हम इस बिल की कामियाँ अपनी स्पीचों में बनलाते हैं और सुधार के लिए मंत्री महोदय को सुझाव देते हैं, स्पीचों में तो हम लोग विरोध करते हैं लेकिन जब वॉटिंग का समय आता है तो हम उस में विरोधी लोगों के साथ वोट नहीं करते हैं। अब यह जो हमारे और उन के बीच में अन्तर है वह उन को समझना चाहिए। अब अगर बच्चा खराब होता है दगा करता है, गलत काम करता है तो उसके शुभचिंतक माँ, बाप धादि डाट डपट कर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, उस बच्चे का कान पकड़ कर उसे सुधारना चाहते हैं। ठीक वही बात इस सरकार के लिए लागू होती है। हम इसे डाट डपट कर और जल्दरी हो जाय तो कान पकड़ कर भी सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, सुधार कराना चाहते हैं जबकि आप उसे जान से ही मार डालना चाहते हैं। आप उसे सुधारना नहीं बल्कि बिलकुल खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार का तबूता ही उलट देना चाहते हैं जबकि हम उसे कायम रखना चाहते हैं। अलबत्ता अगर उन में कोई ख नो है तो उनका सुधार अवश्य करना चाहते हैं। हमारा सुझाव उनको सुधारने के लिए होता है जबकि आप का उन को उलटने का होता है यही हमारे और आप में फर्क है।

श्री ल० श्री० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह बिल जो हमारे सामने है शासक दल इसे अपने बहुमत से अवश्य पास करा लेगा। कुछ बहुमत के आधार पर और कुछ कानूनी उत्सर्गों के आधार पर यह पास तो हो ही जायगा लेकिन मैं समझता हूँ कि उस दिन जब एक उत्तर प्रदेश का मायला भाया लैड एम्प्लीमेंसन का और

[श्री स० मो० बनर्जी]

जिसमें कि कानपुर के एक बहुत बड़े सरमायेदार जो इस मदन के सदस्य भी रह चुके हैं, राम रतन गुप्ता थे, उन की जमीन को ठीक करने के लिए उस को कानूनी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। मुझे याद है कि गिन्दे साहब जिस मंत्रालय में आज हैं, उस के मंत्री उस वक्त पाटिल साहब थे और पाटिल साहब के कहने के अनुसार वह अध्यादेश इसलिए लाया गया था राष्ट्रपति श्री का कि उस जमीन की किसी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत थी और वह इंडस्ट्री राष्ट्र के हित में थी और उस वक्त राष्ट्रीय कम से कम मांग यह थी कि उस में ऐसा सामान बनाये जोकि देश की सुरक्षा के लिए लगाया जाय लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की यह दुरंगा हो चुकी है इस कानून में इस सदन में तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत या जजमेंट की कोई बकअत हमारे देश में नहीं रह जायगी। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधान मंत्री इस बात पर सोचे विचार करे क्योंकि सत्ता दल के जिन लोगों ने वोट इस बिल के पक्ष में दिये जब वह भाषण दे रहे थे तो साफ़ मालूम होता था कि वह इस के पक्ष में नहीं हैं हालांकि कुछ अनुशासन के आधार पर आज उन्होंने उस के पक्ष में वोट दिया है क्योंकि संस्था का अपना अनुशासन है और वह उम को मानना चाहते हैं। मैं आप से कहूँगा कि पिछली मर्तबा यह प्राश्वासन दिया गया था इसी सदन में जबकि श्री राम रतन गुप्ता का मामला था और कहा यह गया था कि इस तरीके से संशोधन नहीं लाया जायगा आज भी मैं महसूस करता हूँ कि यह संशोधन बिना सोचे समझे लाया गया है और सरकार ने कुछ गलत तरीके जमीनों को जो ले लिया था दिल्ली शहर में उनको बैलिडेट करता है। मैं यह जानता हूँ कि कालोनाइजर्स जो हैं कुछ उन में बहुत करघब हैं। मैं यह

भी जानता हूँ इसी संसद् के एक माननीय सदस्य हैं और जोकि सत्ता दल से सम्बन्धित हैं वह खुद एक बहुत बड़े कालोनाइजर हैं और जमीनों की गड़बड़ी करते हैं.....

श्री शिव नारायण : दोनों तरफ़ है। उधर भी है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं भाई शिव नारायण जी से कहना चाहता हूँ कि जब कोई भाषण दे रहा हो तो उसे सुनिये। मालूम होता है कि आप को किसी ने मिक कोट दे दिया है इसलिये आप ऐसी बात कहते हैं।

श्री शिव नारायण : ले लो हम तुम्हें दे देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी: आप ही उस कोट को रखें रहिये। भगली वक्ते चुनाव में उस को बेचना है।

Mr. Deputy-Speaker: Order order. May I remind the hon. Member...

Shri S. M. Banerjee: Why should they disturb me?

Mr. Deputy-Speaker: May I remind him that he is supposed to make some contribution to the deliberations by being a little serious. Why is he bringing in extraneous matters?

Shri S. M. Banerjee: What is un-serious about it? What did I say? Perhaps, you did not follow Hindi...

Mr. Deputy-Speaker: I have followed. Let him conclude now.

Shri S. M. Banerjee: Why are you allergic to mink coat. I am not talking of the Prime Minister's mink coat. You should have taken it in a sporting spirit.

मैं कह रहा था कि श्री राम रतन गुप्ता को यहाँ सदन में मदद की गई थी और आज

की मदद की जा रही है। राम रतन गुप्ता से आप लोग इतने कुछ क्यों हैं ?

मैं कहता हूँ कि आज इस सदन में पाटिल साहब जिनको कि बम्बई की जनता ने हराया था उन्हें जबरदस्ती अध्यादेश लाना पड़ा और उस अध्यादेश के आधार पर गलत तरीके से बहुमत के आधार पर एटार्नी जनरल के फैसले के खिलाफ.....

Shrimati Lakshmikantamma (Khammam): Does it add to the prestige of This House?

Shri K. N. Tiwary: How much time has been given, Sir? We were given only two minutes. (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: You are the only person who can stop me. They cannot stop me.

Mr. Deputy-Speaker: Please conclude.

Shri S. M. Banerjee: Do you consider all Congressmen to be Marshals or what? They cannot stop me (*Interruptions*).

Shrimati Lakshmikantamma: I would request you to see that decorum is maintained and certain standards are observed in the House (*Interruptions*). This is a shame. (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: She is allergic to me. I do not know why.

Shrimati Lakshmikantamma: What is allergic about it?

The whole world is watching what you are doing.

जी स० जो० बनर्जी : मैं कह रहा था कि इस कानून के बारे में जरा मरकार सोचें। आज इसको पास न करें। कोई जल्दी नहीं है। एटार्नी जनरल को इसे भेजा जाए ताकि वह अपना मत इसके बारे में दे सके। उनका मत या जाने के बाद ही कोई फैसला किया

जाए। बाकिर ऐसी जल्दी की क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इसको पास न किया जाए तो कोई बहुत ज्यादा देश का या दिल्ली का नुकसान हो जायेगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे और एटार्नी जनरल की राय इसके बारे में धरना ले।

Shri Mohamed Imam: There has been so much of opposition to this Bill and confusion on either side of the House that the Government will be well advised to withdraw this Bill and bring forward a comprehensive Bill in some other session, as has been suggested by various members in this House. This Bill had been introduced not in the interest of the country or the nation but to legalise the illegal acts committed so far by Government, to perpetuate those illegal acts and to enable Government to repeat illegal acts in future. This legislation also aims at nullifying the judgment of the highest court in the land.

This Act, it has been admitted, is an archaic one. It was passed as long as 1894. It requires various modifications, and Member after Member has expressed his desire that a comprehensive investigation regarding the working of this Act be undertaken and a comprehensive Bill brought forward.

It must be understood that the Land Acquisition Act is a confiscatory and expropriatory measure. It aims at acquiring lands of individuals, acquiring their private lands, perhaps their only means of living. The individual is asked to undergo this sacrifice in public interest for a public purpose. When he undergoes this sacrifice, it is quite necessary that proper steps are taken to rehabilitate him so that he may not lose his means of living, so that he may be assured that his post-

[Shri Mohammed Imam]

tion will not be worse than what it was before.

This Act, as it at present stands, has a great damaging effect. It is necessary that the entire Act be revised and so framed that it will not operate to the prejudice of the person whose land is compulsorily acquired.

I wonder whether this Bill, if it can be passed, if it is passed, will be in order. The Bill as finally passed must include all the amendments that have been passed. In my opinion, the various amendments that have been carried as declared by the Deputy-Speaker—the Deputy-Speaker unequivocally declared them passed—should be incorporated in the Bill in its final form.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member was not here when the division took place.

Shri Mohamed Imam: It has been stated that there was a subsequent division. I must submit with all due respect that that is illegal and that it is not authorised by law. When the Speaker gives his decision definitely that a certain amendment has been passed, there is no provision either in the rules of procedure or in the Constitution to reopen it.

Shri A. T. Sarma: No, it can be reopened.

Shri Mohamad Imam: With due respect, he cannot reopen it. The decision stands. According to the decision, all those amendments have been passed and they should be incorporated in the Bill. So, if the Bill is passed without incorporating all those amendments, then I am afraid the whole procedure is illegal, the Bill in the final form cannot operate and cannot become law.

So, on these grounds I oppose the passing of this Bill and I advise the

Mover of this Bill in all humility to withdraw it. No time is lost. There is still time for the expiry of the ordinance, another four months more. So, he will do well, in deference to the wishes of a large number of members, to withdraw this Bill and bring it again in the next session of Parliament, which session is not far off. So, I oppose this Bill.

Shri Annasahib Shinde: I share the concern of the House, and all the hon. Members have expressed concern over the various provisions of the Bill. I do not want to enter into elaborate arguments at this stage because I have already explained the purpose for which the Government had to bring forward this Bill.

Shri Bibhutj Mishra, one of the senior members of this House, desired that Government should give a firm assurance to the effect that the entire framework of the Act would be gone into. May I repeat that I have already in my preliminary observations stated that a committee of Members of Parliament will be constituted, and since it is a subject falling in the concurrent List, representatives of the State Governments will also have to be associated with that committee. As soon as the report of that committee is available, we shall examine the entire framework of the Act, and Government will come forward with a new legislation. But for the time being, due to some technical difficulties we have to bring forward this legislation. No disrespect to the judgment of any court is meant thereby. Therefore, I commend this Bill to the House.

Shri Himatsingka: May I also suggest that the draftsmen should be a little more careful, so that the Minister may not have to bring an amendment immediately after it is introduced. Another fact is the Financial Memorandum was also not attached, it was added later on. These things should be looked into by the office, otherwise, there will be difficulty.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Deputy-Speaker: Let the Lobbies be cleared.

The lobbies have been cleared.

Shri Tenneti Viswanatham: On a point of information, Sir. Are you allowing the members of the Rajya Sabha to sit in the House at the time of voting.

Mr. Deputy-Speaker: So long as he is not voting, if there is any Rajya Sabha member....

Shri Tenneti Viswanatham: The question is not whether they are voting or not. They ought not to sit at the time of the voting. The lobbies are cleared means those who are not members of this House should not sit. This is a very simple rule. In our Assemblies, we do not allow.

Mr. Deputy-Speaker: No seats have been allocated to them. They can sit here, but they are not voting.

Shri V. Krishnamoorthi: How can we be sure that they are not voting? They should raise both their hands at the time of voting.. (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: When a Minister, who is a member of the Rajya Sabha, pilots a Bill, he sits here. He has a right to sit.

Shri Dattatraya Kunte: As a matter of convenience, the rules can be amended.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

I request hon. members to use both the hands simultaneously.

The Lok Sabha divided.

Division No. 67

AYES

[18.22 hrs.

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmad
Ahmad, Dr. I.
Ahmed, Shri F. A.
Arumugam, Shri R. S.
Azad, Shri Bbagwat Jha
Bajpai, Shri Vijaya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Barupal, Shri P. L.
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Buta Singh, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri Y. B.
Choudhury, Shri Valmiki
Dalbir Singh, Shri
Deo, Shri N. T.
Deoghare, Shri N. R.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri K. G.
Deshmukh, Shri Shivaji Rao S.
Dhillon, Shri G. S.

Dhuleswar Meena, Shri
Dixit, Shri G. C.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Ganpat Sahai, Shri
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Ghosh, Shri P. K.
Gupta, Shri Ram Kishan
Hajarnawis, Shri
Himatsingka, Shri
Yadhav, Shri Tulsidas
Jadav, Shri V. N.
Jaggiwan Ram, Shri
Kahandole, Shri
Kamble, Shri
Kamla Kumari Shrimati
Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Keshri, Shri Sitorem
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Kureel, Shri B. N.
Laxmikantamma, Shri-
mati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Kedaria, Shri C. H.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahida, Shri
Narendra Singh
Malimariappa, Shri

Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mang, Shri Shankarrao
Mirandi, Shri
Masuria Din, Shri
Menon, Shri Govinda
Minimata, Shrimati Agan Dass Guru
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. G.
Mondal, Dr. P.
Mrityunjay Prasad,
Shri
Mudrika Singh, Shri
Mukerjee, Shrimati
Sharda
Nageshwar, Shri M. N.
Naghoor, Shri M. N.
Nahata, Shri Amrit
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri
Pandit Shrimati Vijaya-
Lakshmi
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Parmer, Shri Bhalji
bhai
Pratap Singh, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri Dorao
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Pramanik, Shri J. N.

Qureshi, Shri Shafi	Salve, Shri N. K.	Siddeshwar	Prasad,
Radhabai, Shrimati B. K.	Sarnbandhan, Shri S. K.	Shri	
Rajasekharan, Shri	Sarma, Shri A. T.	Singh, Shri D. N.	
Ram Kiehan, Shri	Satva Narain, Singh,	Solanki, Shri S. M.	
Ram Subhag Singh, Dr.	Shri	Sonar, Shri A. G.	
Ram Dhan, Shri	Sayyad Ali, Shri	Sonavane, Shri	
Ram Sewak, Shri	Sen, Shri Deven	Supakar Shri Sradhakar	
Ram Swarup, Shri	Sen, Shri P. G.	Surendra Pal Singh,	
Ramshekhar Prasad	Sethi, Shri P. C.	Shri	
Singh, Shri	Shah Shri Shantilal	Swaran Singh, Shri	
Rana, Shri M. B.	Shankaranand, Shri	Taredekar, Shri V. B.	
Randhir Singh, Shri	Sharma Shri D. C.	Tiwary, Shri D. N.	
Rane, Shri	Shashi Ranjan, Shri	Tiwary, Shri K. N.	
Rao Shri K. Narayana	Shastri Shri B. N.	Tula Ram, Shri	
Rao, Dr. V. K. R. V.	Shastri, Shri Ramanand	Tulsidas, Shri	
Reddi, Shri G. S.	Sheo Narain, Shri	Vajpayee Shri A. B.	
Reddy Shri Ganga	Sheth, Shri T. M.	Veerappa, Shri Rama-	
Roy, Shri Bishwanath	Shinde, Shri Annasahib	chandra	
Sadhu Ram, Shri	Shiv Chandrika Prasad,	Yadav Shri N. P.	
Saha, Shri S. K.	Shri	Yadav, Shri Chandra	
Saleem, Shri M. Y.	Shukla, Shri S. N.	Jeet, Shri	
	Siddayya, Shri		

NOES

Abraham, Shri K. M.	Joshi, Shri S. M.	Nair, Shri Vasudevan
Ahmed, Shri J.	Kachhavaia, S h r i	Paimar, Shri D. R.
Amat, Shri D.	Hukam Chand	Patel Shri Manibhai J.
Amin Prof. R. K.	Kameshwar Singh, Shri	Patil, Shri N. R.
Amin, Shri Ramaohan-	Kandappan, Shri S.	Patodia Shri D. N.
dra J.	Kaushik, Shri K. M.	Ram Singh, Shri
Banerjee, Shri S. M.	Kedar Baswan, Shri	Ray, Shri Rabi
Basu, Shri Jyoti'moy	Khan, Shri Ghayoor Ali	Satva Narain Singh,
Berwa, Shri Onkar Lal	Khan Shri Latafat Ali	Shri
Bharat Singh, Shri	Khan, Shri Zulfiqaur Ali	Sen, Dr. Ranen
Chittababu, Shri C.		Sharda Nand, Shri
q̄ūȳs̄ 'ā 'x̄ t̄ȳs̄ 'ōāi	Kothari, Shri S. S.	Sharma, Shri B. S.
Dhirendranath, Shri	Krishnamoorthi, Shri V.	Sharma Shri N. S.
Dipa Shri A.	Kunte, Shri Dattatraya	Shastri, Shri Shiv
Esthose, Shri P. P.	Madhok, Shri Bal Raj	Kumar
Fernandes Shri George	Madhukar, Shri K. M.	Singh, Shri J. B.
Gopalar, Shri D. S.	Majhi, Shri M.	Somani, Shri N. K.
Gupta, Shri Kanwarlal	Mangalathumadom, Shri	Sreedharan, Shri A.
Gupta, Shri Lakkanlal	Misra, Shri Srinibas	Umanath, Shri
Jena, Shri D. D.	Mody, Shri Pilloo	Vansh Narain, Shri
Jha, Shri Bhogendra	Mohamed Imam, Shri	Viswanathan Shri G.
Joshi, Shri Jagannath	Molahu, Shri	Viswanatham, Shri Ten-
Rao	Naik, Shri R. V.	neti

Shri K. M. Kaushik (Chanda): The machine is not working. 18.25 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

Shri S. A. Dange (Bombay Central South): The machine is not working.

Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is Ayes 149; Noes 62.

The motion was adopted.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, I beg to announce that the business in the House for tomorrow, the 7th April, 1967 will be as follows:

- (1) Further consideration and passing of the Minerals Pro-